

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017—श्रावण 20, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. एफ 5-19-2016-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 19-6-2017 से दिनांक 23-6-2017.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में 24-6-2017 से 26-6-2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

**गृह विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. एफ 1(ए)-95-99-ब-2-दो.—श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल को उनकी माताजी के इलाज हेतु दिनांक 5 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**श्रीदास, अवर सचिव.**

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

प्रथम तल, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

फा. क्र. 3368-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये अधोलिखित सारणी में वर्णित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर विधि अधिकारी के रूप में दिनांक 1 अगस्त 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिये शासन द्वारा निर्धारित सेवा-शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:—

**सारणी**

**महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर**

क्र.	अधिवक्ता का नाम एवं नामांकन क्रमांक	विधि अधिकारी के रूप में पदनाम
(1)	(2)	(3)

1	श्री आर. के. वर्मा, JR76 /81 & SR6/14	अतिरिक्त महाधिवक्ता
---	---------------------------------------	---------------------

(1)	(2)	(3)
2	श्री समदर्शी तिवारी, 2309/1996.	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3	श्री संजय द्विवेदी, 718/1989.	उप महाधिवक्ता
4	श्री दीपक अवस्थी, 2420/1995.	उप महाधिवक्ता
5	श्री पुष्पेन्द्र यादव, 2307/2000.	उप महाधिवक्ता
6	श्री आशीष आनंद बर्नाड, D/2374/2005.	उप महाधिवक्ता
7	श्री ब्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय, 53/1993.	शासकीय अधिवक्ता
8	श्री दिवेश जैन, 2574/1993	शासकीय अधिवक्ता
9	श्री प्रदीप सिंह, 77/1996	शासकीय अधिवक्ता
10	श्री गिरीश केकरे, 2818/1996	शासकीय अधिवक्ता
11	श्रीमती शाहिन फातिमा, 2521/1999.	शासकीय अधिवक्ता
12	श्री अजय प्रताप सिंह, 2488/2000.	शासकीय अधिवक्ता
13	श्री पियूष धर्माधिकारी, 2944/2000.	शासकीय अधिवक्ता
14	श्री अखिलेन्द्र सिंह, 4337/2000.	शासकीय अधिवक्ता
15	श्री अजय शुक्ला, 1751/2001.	शासकीय अधिवक्ता
16	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, 2040/2001	शासकीय अधिवक्ता
17	श्री अमित सेठ, 508/2003.	शासकीय अधिवक्ता
18	श्री ब्रम्हदत्त सिंह, 1246/2005.	शासकीय अधिवक्ता
19	श्रीमती जहानवी पंडित, 1387/2005.	शासकीय अधिवक्ता
20	श्री एस. डी. खान, 665/81.	शासकीय अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
21	श्री शिव कुमार राय, 882/1986.	शासकीय अधिवक्ता	40	श्री आदित्य नारायण गुप्ता, 1364/1999	शासकीय अधिवक्ता
22	श्री विशाल धगत, 3164/1989.	शासकीय अधिवक्ता	41	श्री विजय सोनी, 2867/1999	शासकीय अधिवक्ता
23	श्री चन्द्र कांत मिश्रा, 966/1990.	शासकीय अधिवक्ता	42	श्री योगेन्द्र दास यादव, 2865/2000	शासकीय अधिवक्ता
24	श्री असीम दीक्षित, 1167/1990.	शासकीय अधिवक्ता	43	श्री आदित्य प्यासी, 2931/2000	शासकीय अधिवक्ता
25	श्री प्रमोद चौबे, 1260/1991.	शासकीय अधिवक्ता	44	श्री वैभव तिवारी, 2939/2000	शासकीय अधिवक्ता
26	श्री सुबोध कथर, 1794/1992.	शासकीय अधिवक्ता	45	श्री सुदीप चटर्जी, 2952/2000	शासकीय अधिवक्ता
27	श्री विवेक मिश्रा, 1469/1993	शासकीय अधिवक्ता	46	श्री नवीन दुबे, 183/2001	शासकीय अधिवक्ता
28	श्रीमती निर्मला नायक, 1480/1993.	शासकीय अधिवक्ता	47	श्री दीपेन्द्र कुमार मिश्रा, 1539/2001	शासकीय अधिवक्ता
29	श्री अभय शंकर पाठक, 1193/1994.	शासकीय अधिवक्ता	48	श्री मनीष कुमार सोनी, 1631/2001	शासकीय अधिवक्ता
30	श्री गुरू प्रसन्न सिंह, 1798/1995.	शासकीय अधिवक्ता	49	श्री राजेश तिवारी 2165/2001	शासकीय अधिवक्ता
31	श्री योगेश धनधे, 1804/1995	शासकीय अधिवक्ता	50	श्री नीरज सिंह चौहान, 3080/2001	शासकीय अधिवक्ता
32	श्री डी. के. परोहा, 2092/1995.	शासकीय अधिवक्ता	51	श्री राहुल रावत, 1331/2002	शासकीय अधिवक्ता
33	श्री सुदीप देव, 2340/1996	शासकीय अधिवक्ता	52	श्री अनुभव जैन, 2677/2003	शासकीय अधिवक्ता
34	श्री अक्षय नामदेव, 2345/2004	शासकीय अधिवक्ता	53	श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, 466/2004	शासकीय अधिवक्ता
35	श्री राजेश कुमार तिवारी, 1197/1997	शासकीय अधिवक्ता	54	श्री विवेक लखेरा, 3856/2005	शासकीय अधिवक्ता
36	श्री गितेश सिंह ठाकुर 1657/1997	शासकीय अधिवक्ता	55	श्री राहुल मिश्रा, 615/2004	शासकीय अधिवक्ता
37	श्री शिव मोहन लाल, 1946/1997	शासकीय अधिवक्ता	56	श्री शरद शर्मा 1974/2004	शासकीय अधिवक्ता
38	श्री मनीष अवस्थी, 1690/1998	शासकीय अधिवक्ता	57	श्री आशुतोष तिवारी, 1381/2005	शासकीय अधिवक्ता
39	श्री अरविंद सिंह, 842/1999	शासकीय अधिवक्ता			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
58	श्री अमित कुमार शर्मा, 606/2007.	शासकीय अधिवक्ता	8	श्री गिरधारी सिंह चौहान, 2320/2001	शासकीय अधिवक्ता
59	श्री रोहित जैन, 1158/2007	शासकीय अधिवक्ता	9	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, 3564/2003	शासकीय अधिवक्ता
60	श्रीमती नम्रता के. अग्रवाल 2636/2007	शासकीय अधिवक्ता	10	श्री हरीश दीक्षित, 01/2004	शासकीय अधिवक्ता
61	श्री मोहित नायक, 2091/2008	शासकीय अधिवक्ता	11	श्री राजकुमार अवस्थी, 3970/2005	शासकीय अधिवक्ता
62	श्री शिवेन्द्र पाण्डेय, 3163/2009	शासकीय अधिवक्ता	12	श्री जग मोहन साहनी, 97/1975	शासकीय अधिवक्ता
63	श्री अंकित अग्रवाल, 2766/2010	शासकीय अधिवक्ता	13	श्री अजय चतुर्वेदी, 1081/1987	शासकीय अधिवक्ता
64	श्री अखिलेश कुमार सिंह, 1230/2003	उप शासकीय अधिवक्ता	14	श्री रूकवेंद्र सिंह घुरैया 583/1994	शासकीय अधिवक्ता
65	श्री नरेन्द्र चौरसिया, 2694/2000	उप शासकीय अधिवक्ता	15	श्री शिराज कुरैशी, 1599/1995	शासकीय अधिवक्ता
66	श्री आदित्य जैन, 1129/2007	उप शासकीय अधिवक्ता	16	श्री बी. के. शर्मा, 1056/1997	शासकीय अधिवक्ता
67	श्री सौरभ श्रीवास्तव, 2428/2008	उप शासकीय अधिवक्ता	17	श्री देवेन्द्र चौबे, 1110/1997	शासकीय अधिवक्ता
68	श्री विद्या शंकर मिश्रा, 3127/2009	उप शासकीय अधिवक्ता	18	श्री संगम जैन, 338/1998	शासकीय अधिवक्ता
			19	श्री प्रखर धेंगुला, 368/1999	शासकीय अधिवक्ता

**महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर**

क्र.	अधिवक्ता का नाम एवं नामांकन क्रमांक	विधि अधिकारी के रूप में पदनाम	क्र.	अधिवक्ता का नाम एवं नामांकन क्रमांक	विधि अधिकारी के रूप में पदनाम
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	श्री विशाल मिश्रा, 1983/2000	अतिरिक्त महाधिवक्ता	20	श्री प्रमोद पचौरी, 1529/1999	शासकीय अधिवक्ता
2	श्रीमती अमी प्रबल, 2082/1996	उप महाधिवक्ता	21	श्री विवेक जैन, 1625/1999	शासकीय अधिवक्ता
3	श्री कुलदीप सिंह, 1546/1989	शासकीय अधिवक्ता	22	श्री राघवेन्द्र दीक्षित, 2073/1999	शासकीय अधिवक्ता
4	श्री भानु प्रताप सिंह चौहान, 2603/1996	शासकीय अधिवक्ता	23	श्री आशीष सारस्वत, 1975/2001	शासकीय अधिवक्ता
5	श्री प्रवीण निवासकर, 1026/1997	शासकीय अधिवक्ता	24	श्री योगेश पाराशर, 1983/2001	शासकीय अधिवक्ता
6	सुश्री निधि पाटनकर 1662/1997	शासकीय अधिवक्ता	25	श्री राजेश पाठक, 2708/2001	शासकीय अधिवक्ता
7	श्री कमल जैन, 1584/1991	शासकीय अधिवक्ता	26	श्री विवेक मिश्रा, 747/2003	शासकीय अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
27	श्री अभिषेक मिश्रा, 1334/2003	शासकीय अधिवक्ता	6	श्री रोहित मंगल, 3260/2005	शासकीय अधिवक्ता
28	श्री दिलीप सिंह तोमर, 3467/2003	शासकीय अधिवक्ता	7	श्री रमाकांत शर्मा, 1204/1986	शासकीय अधिवक्ता
29	श्री नरेन्द्र सिंह किरार, 650/2004	शासकीय अधिवक्ता	8	श्रीमती ममता शांडिल्य, 797/1988	शासकीय अधिवक्ता
30	श्री अजय भार्गव, 2369/2004	शासकीय अधिवक्ता	9	श्रीमती स्वाति उखले, 608/1993	शासकीय अधिवक्ता
31	श्री सुरेन्द्र सिंह धाकड़, 2754/2004	शासकीय अधिवक्ता	10	श्री राजेश जोशी, 1569/1993	शासकीय अधिवक्ता
32	श्री बृज मोहन पटेल, 556/2007	शासकीय अधिवक्ता	11	श्री राकेश माहेश्वरी, 1959/1994	शासकीय अधिवक्ता
33	श्री विवेक भार्गव, 3514/2005	शासकीय अधिवक्ता	12	श्रीमती अर्चना खेर, 1494/1997	शासकीय अधिवक्ता
34	श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, 279/2006	शासकीय अधिवक्ता	13	श्री मुकेश परवाल, 2124/1997	शासकीय अधिवक्ता
35	श्रीमती संगीता पचौरी, 1851-A/2001	शासकीय अधिवक्ता	14	श्री विरेन्द्र खादव, 1402/1998	शासकीय अधिवक्ता
36	श्री रामनारायण शर्मा, 51/1974	शासकीय अधिवक्ता	15	श्री विवेक पटवा, 2068/1999	शासकीय अधिवक्ता
37	श्री अजय निरंकारी, 1756/2002	उप शासकीय अधिवक्ता	16	श्री सूरज शर्मा 3086/2000	शासकीय अधिवक्ता
38	श्री योगेश चतुर्वेदी, 1816/2002	उप शासकीय अधिवक्ता	17	श्री अमित सिसौदिया 1340/2001	शासकीय अधिवक्ता
39	श्री योगेश सिंघल, 1392/2005	उप शासकीय अधिवक्ता	18	श्री पियूष जैन, 2909/2001	शासकीय अधिवक्ता
40	श्री अवनीश सिंह, 2970/2008	उप शासकीय अधिवक्ता	19	श्री राजेश माली, 1480/2002	शासकीय अधिवक्ता
			20	श्री पीयूष श्रीवास्तव, 1509/2002	शासकीय अधिवक्ता
			21	श्री भुवन देशमुख, 1549/2002	शासकीय अधिवक्ता
			22	श्रीमती भक्ति व्यास, 2251/A-2002	शासकीय अधिवक्ता
			23	श्री सुर्देशन जोशी, 342/2003	शासकीय अधिवक्ता
			24	श्री कमल कुमार तिवारी, 1234/2004.	शासकीय अधिवक्ता
			25	श्री मुकेश कुमावत, 1264/2005.	शासकीय अधिवक्ता
			26	श्री हितेन्द्र मेहता, 3260/2005	शासकीय अधिवक्ता
			27	श्री राहुल सेठी, 1211/2006	शासकीय अधिवक्ता
			28	श्री अमित सिंह 114/2007	शासकीय अधिवक्ता
			29	श्री अभिनव मल्होत्रा, 930-सी-2007.	शासकीय अधिवक्ता
			30	श्री विभोर खण्डेलवाल, 867/2007.	शासकीय अधिवक्ता
			31	श्री भुवन गौतम, 1005/2007	शासकीय अधिवक्ता
			32	श्री अनिरुद्ध वाघमारे 1169/2007.	शासकीय अधिवक्ता
			33	श्री आदित्य गर्ग 1367/2006	शासकीय अधिवक्ता
			34	श्री कोस्तुभ पाठक, 2004/2009	शासकीय अधिवक्ता
			35	श्री अभिषेक सोनी, 2038/2009	उप शासकीय अधिवक्ता
			36	श्री स्वपनिल शर्मा 1566/1994	उप शासकीय अधिवक्ता
			37	श्रीमती भारती लाकड़, 3160/2003	उप शासकीय अधिवक्ता
			38	सुश्री निधि बोहरा, 2177/2007	उप शासकीय अधिवक्ता
			39	श्री हेंमत शर्मा, 2358/2010	उप शासकीय अधिवक्ता
			40	श्री विशाल सनोठिया, 2733/2010	उप शासकीय अधिवक्ता

**महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर**

क्र.	अधिवक्ता का नाम एवं नामांकन क्रमांक	विधि अधिकारी के रूप में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री मनोज द्विवेदी, 2284/1993	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2	श्री पुष्पमित्र भार्गव, 1683/2004	उप महाधिवक्ता
3	श्री उमेश गजनकुश, 2879/1994	उप महाधिवक्ता
4	श्री पंकज वाधवानी, 193/2003	शासकीय अधिवक्ता
5	श्री रोमेश दवे, 3104/2005	शासकीय अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

## उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 6-2-2016-अट्टावन.—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 से रबी 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा परिशिष्ट-5 में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची अधिसूचित की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न अनुपूरक परिशिष्ट-5 के कॉलम 9 अनुसार मौसम केन्द्र के आँकड़े प्रदाय दाता कम्पनी के नाम संशोधित किये जाते हैं, शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016-17 से रबी वर्ष 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची  
अनुपूरक परिशिष्ट-5

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कम्पनी का नाम	पूर्व प्रकाशित मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी	संशोधित मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider	
1080	Dewas	Bagli	Bagali 1	Guradiakla	Kamalapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1081	Dewas	Bagli	Bagali 1	Kamalapur	Guradiakla	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1082	Dewas	Dewas	Dewas 1	Mudka	Salmkedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1083	Dewas	Dewas	Dewas 1	Salmkedi	Mudka	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1084	Dewas	Dewas	Dewas 2	Bhangarh	Ptadi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1085	Dewas	Dewas	Dewas 2	Ptadi	Bhangarh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1086	Dewas	Hatapipalya	Hatapipalya	Arlavda	Avrajāsani	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1087	Dewas	Hatapipalya	Hatapipalya	Avrajāsani	Arlavda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1088	Dewas	Kannod	Kannaud	Bagankedha	Kothmeer	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1089	Dewas	Kannod	Kannaud	Kothmeer	Bagankedha	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1090	Dewas	Khategaon	Haranaganv	Bhukia	Kalibai	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1091	Dewas	Khategaon	Haranaganv	Kalibai	Bhukia	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1092	Dewas	Khategaon	Khateganv	Dhundyakedi	Ninvora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1093	Dewas	Khategaon	Khateganv	Ninvora	Dhundyakedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1094	Dewas	Satavas	Satavas	Baijagvadha	Jansur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1095	Dewas	Satavas	Satavas	Jansur	Baijagvadha	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1096	Dewas	Sonkach	Bhaurasa	Sarsoda	Chaubarajagir	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1097	Dewas	Sonkach	Sonakachchh	Chaubarajagir	Kachannaria	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1098	Dewas	Sonkach	Sonakachchh	Kachannaria	Chaubarajagir	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1099	Dewas	Tonkkhurd	Chaubaradhira	Kamalapur_1	Guradiakla	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1100	Dewas	Tonkkhurd	Tonkakhurd	Barwakedi	Kamalapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1101	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Imlipura	Pipri	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1102	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Pipri	Imlipura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1103	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Singla Deh	Imlipura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1104	Guna	Aaron	Aaron 2	Bakaan	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1105	Guna	Aaron	Barkhedahat-1	Boodhaakheda	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1106	Guna	Aaron	Barkhedahat-1	Sagaavarakheda	Boodhaakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1155	Singrauli	Chitrangi	Chitrangi-3	Dhawai	Chitrangi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1156	Singrauli	Chitrangi	Dudhamaniya	Saketi	Bagdewa	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1157	Singrauli	Chitrangi	Koraval-1	Khamthariya	Pondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1158	Singrauli	Chitrangi	Koraval-1	Pondi	Rahlon Khurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1159	Singrauli	Chitrangi	Mauhariya	Bagdewa	Saketi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1160	Singrauli	Devasar	Baragavan	Jobgarh	Amo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet

1161	Singrauli	Devasar	Devasar Gird	Amo	Jobgarh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1162	Singrauli	Devasar	Saraudha	Khandhauli	Amo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1163	Singrauli	Manda	Amiliya	Karsualal	Pondi Path	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1164	Singrauli	Manda	Manda-2	Kumhiya	Pondi Path	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1165	Singrauli	Manda	Manda-2	Pondi Path	Kumhiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1166	Singrauli	Sarai	Khanuaa Naya	Gorwani	Dudhiyatola	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1167	Singrauli	Sarai	Niwas	Rajania	Dudhiyatola	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1168	Singrauli	Sarai	Sarai	Dudhiyatola	Rajania	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1169	Singrauli	Singrauli	Baidhan	Itma (Waidhan)	Bihara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1170	Singrauli	Singrauli	Khutar	Bihara	Pipara Kurund	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1171	Singrauli	Singrauli	Shashan	Pipara Kurund	Bihara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1179	Aagar Malwa	Nalkheda	Nalkheda	Padana	Basya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1180	Aagar Malwa	Susaner	Soyatkalan (Np)	Banda	Soyatkalan (NP)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1181	Aagar Malwa	Susaner	Soyatkalan (Np)	Soyatkalan (NP)	Banda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1182	Aagar Malwa	Susaner	Susner	Maina	Basya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1183	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Bansa Khedi	Jhagar Kachnar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1184	Ashoknagar	Ashoknagar	Kachnar	Jhagar Kachnar	Dongra	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1185	Ashoknagar	Ashoknagar	Rajpur	Dongra	Jhagar Kachnar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1186	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Chanderi	Satpaiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1187	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Satpaiya	Chanderi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1188	Ashoknagar	Chanderi	Thoban	Nawni	Chanderi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1189	Ashoknagar	Ishagarh	Ishagarh	Behata Alias Ganesh Kheda	Khamkhedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1190	Ashoknagar	Ishagarh	Saraskheda	Khamkhedi	Behata Alias Ganesh Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1191	Ashoknagar	Mungawali	Athaikheda	Tetore	Bhimkheda (OG) (Part)_1	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1192	Ashoknagar	Mungawali	Bahadurpur	Bhimkheda (OG) (Part)_1	Tetore	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1193	Ashoknagar	Mungawali	Mungali	Mundra	Bahadurpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1194	Ashoknagar	Naisarai	Mahidpur	Ajleshwar	Dungasara (Pitampur)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1195	Ashoknagar	Naisarai	Nisray	Pitampur	Ajleshwar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1196	Ashoknagar	Piparai	Piparai	Bamanua	Manihari Muhal	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1197	Ashoknagar	Piparai	Tari	Manihari Muhal	Bamanua	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1198	Ashoknagar	Shadhora	Shahidora	Bhimkheda (OG) (Part)_2	Bansa Khedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1199	Rajgarh	Byavara	Biaora	Shahpura	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1200	Rajgarh	Byavara	Biaora	Shahpura	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1201	Rajgarh	Byavara	Malawar	Dhakora	Semlapar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1202	Rajgarh	Byavara	Malawar	Semlapar	Dhakora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1203	Rajgarh	Byavara	Suthaliya	Mothbadli	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1204	Rajgarh	Jirapur	Jirapur (Np)	Gordhanpura	Kahar Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1205	Rajgarh	Jirapur	Jirapur (Np)	Kahar Kheda	Gordhanpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1206	Rajgarh	Jirapur	Machalpur	Nandri	Kahar Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1207	Rajgarh	Khilacipur	Bhojpur	Kotda	Khilchipur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1208	Rajgarh	Khilacipur	Chhapiheda	Shekhanpur	Khilchipur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1209	Rajgarh	Khilacipur	Khilchipur	Khilchipur	Shekhanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1210	Rajgarh	Narsinghgarh	Boda	Mandawar	Sagpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1211	Rajgarh	Narsinghgarh	Kurawar	Sahu Khedi	Mandawar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1212	Rajgarh	Narsinghgarh	Narsinghgarh	Sagpur	Mandawar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1213	Rajgarh	Pachor	Pachore	Kalyanpur	Dhuwa Khedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1214	Rajgarh	Pachor	Talan	Dhuwa Khedi	Kalyanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1215	Rajgarh	Rajgarh 1	Kalipith	Golyabey	Kherabe (Meriyakhedi)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1216	Rajgarh	Rajgarh 1	Kalipith	Meriyakhedi	Chopanakhurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1217	Rajgarh	Rajgarh 1	Khujner	Lakhya	Bamlabe	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1218	Rajgarh	Rajgarh 1	Rajgarh	Bamlabe	Fatehpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1219	Rajgarh	Rajgarh 1	Rajgarh	Fatehpur	Bamlabe	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1220	Rajgarh	Sarangpur	Padiya Mata	Padiya Mata	Bhumka	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen

1221	Rajgarh	Sarangpur	Sandota	Bhumka	Padlya Mataji	IFFCO-TOKIO GIC LTD	NCMSI	Ingen
1222	Rajgarh	Sarangpur	Sarangpur	Dhanora	Padlya Mataji	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1252	Rewa	Tynothar	Garhi	KAITHI	DIH	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1253	Rewa	Tynothar	Raipur Sonauri	DIH	KAITHI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1254	Rewa	Tynothar	Tynothar	KAITHI	DIH	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1255	Satna	Amarpatan	Amarpatan	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1256	Satna	Amarpatan	Mauhari Katara	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1257	Satna	Amarpatan	Tala	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1258	Satna	Kotar	Bihara	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1259	Satna	Kotar	Kotar	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1260	Satna	Maghaganva	Baraundha	NARDAHA	KAILASHPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1261	Satna	Maghaganva	Chitrukut	PALDEV	NARDAHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1262	Satna	Maghaganva	Maghaganva	KAILASHPUR	NARDAHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1263	Satna	Maihar	Amadara	GUGRI	BHERA (BHENDA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1264	Satna	Maihar	Badera	LATAGAON	Kusedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1265	Satna	Maihar	Bhadanpur	LATAGAON	Kusedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1266	Satna	Maihar	Kusedi	DHABRAL	LATAGAON	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1267	Satna	Maihar	Maihar	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1268	Satna	Maihar	Nadan	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1269	Satna	Maihar	Tilaura	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1270	Satna	Nagaud	Damha	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1271	Satna	Nagaud	Jasha	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1272	Satna	Nagaud	Nagaud	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1273	Satna	Nagaud	Rahijawre	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1274	Satna	Nagaud	Shivrajpur	AMA	NAGOD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1275	Satna	Nagaud	Singhpur	AMA	NAGOD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1276	Satna	Raghurajnagar	Hati	BAIRGALA	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1277	Satna	Raghurajnagar	Kothi	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1290	Satna	Uchehara	Lagaragaon	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1291	Satna	Uchehara	Parasamniya	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1292	Satna	Uchehara	Uchehara	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1293	Satna	Virsinghpur	Dharakundi	BARERA	BHARJUNA KHURD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1294	Satna	Virsinghpur	Jaitvara	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1295	Satna	Virsinghpur	Virsinghpur	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1296	Sidhi	Bahari	Devganv	BHITARI	POKHARI DOL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1297	Sidhi	Churahat	Chunhat	TIKAT KALAN	PARARA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1298	Sidhi	Gopad Banas	Semariya1	KATARIKANRI	PARARA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1299	Sidhi	Gopad Banas	Sidhigird1	BISUNITOLA	KATARIKANRI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1300	Sidhi	Gopad Banas	Sidhigird2	PARARA	KATARIKANRI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1301	Sidhi	Kushami	Kusumi	BELDIHA	PONRI (PONDII)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1302	Sidhi	Kushami	Paudi	PONRI	BELDIHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1303	Sidhi	Majhauri	Madwas	HARWAR	BAGHAILA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1304	Sidhi	Majhauri	Majholi	BAGHAILA	HARWAR (Majhauri)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1305	Sidhi	Rampur Naik	Hanumangarh	MARWA	BELKASARI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1306	Sidhi	Rampur Naik	Rampur Naikin	BELKASARI	MARWA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1307	Sidhi	Sihaval	Amilya 2	POKHARI DOL	BHITARI (KUBEARI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 6-2-2016-अट्टावन.—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016-17 से रबी 2018-19 तक क्रियान्वयन हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2016 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2016 जारी की गई है. बीमा की विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा संशोधित अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2016 के अनुसार खरीफ वर्ष 2017-18 से रबी वर्ष 2018-19 तक के लिए भी यथावत लागू रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.



## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. एफ- 1(1)-13-2017-बी-ग्यारह.—विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-1 (1) 13-2017-बी-ग्यारह, दिनांक 10 जुलाई 2017 द्वारा श्री दादूराम बसंत, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर का स्थानांतरण किया जाकर कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।

(2) राज्य शासन एतद्वारा निरीक्षक श्री दादूराम बसंत को कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा शहडोल संभाग में सहायक पंजीयक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दिया जाकर रीवा कार्यालय हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) उक्त आदेश प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जारी किया जाता है तथा सहायक पंजीयक के प्रभार को आधार बनाकर श्री दादूराम बसंत, निरीक्षक स्वयं की पदोन्नति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।

क्र. एफ 1(1)13-2017-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं नियुक्त करता है:—

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिनियम की धाराएं (3)	क्षेत्र (4)
1	श्री अजय खरे, असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 37, 38 एवं 39.	इन्दौर संभाग, इन्दौर (म. प्र.).
2	श्री एम. जे. कुरैशी, असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल. नर्मदापुरम.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	भोपाल नर्मदापुरम संभाग एवं सागर संभाग.
3	श्री दादूराम बसंत, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा. (प्रभारी सहायक पंजीयक).	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	रीवा शहडोल संभाग, रीवा.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्र. एफ 1(1)80-2011-बी (सी)-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2014 के तहत संपन्न संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा परिणाम के आधार पर जिला रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में निम्नांकित शर्तों पर जिला रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:—

स. क्र. (1)	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक (2)	उम्मीदवार का नाम एवं वर्तमान पता (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
1	3	ऋचा जैन, पिता श्री अब्दु लाल जैन, 70 न्यू जगदम्बा कालोनी, चेरताल वार्ड, जबलपुर, म. प्र. पिन कोड-482003.	जिला रोजगार कार्यालय, पन्ना (म. प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)
2	5	श्री स्वप्निल श्रीवास्तव पिता श्री डी. के. ब्यौहार, गोपालगंज, निवास रोड, शहपुरा जिला डिण्डौरी, (म. प्र.) पिनकोड-481990.	जिला रोजगार कार्यालय शिवपुरी (म. प्र.)
3	6	श्री दिलीप सिंह कुशवाह पिता श्री कलियान सिंह, कुशवाह, कागदलपुरा, राजगढ़, तह. व थाना, सरदारपुर, जिला-धार (म. प्र.) पिनकोड-454116.	जिला रोजगार कार्यालय, मंदसौर (म. प्र.)
4	8	श्री रवि वर्मा, पिता श्री दुलीचंद वर्मा, 8 शांति नगर, मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (म. प्र.) पिनकोड-451221.	जिला रोजगार कार्यालय, देवास (म. प्र.)
5	10	श्री सोहन सिंह, चौपड़ा, पिता श्री वीर सिंह चौपड़ा, श्री प्रीतम मेड़ा शिक्षक आर.सी. चर्च कॉलोनी झाबुआ, जिला-झाबुआ (म. प्र.). पिनकोड-457661.	जिला रोजगार कार्यालय, रतलाम (म. प्र.)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन जिला रोजगार अधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित योग्यता सूची अनुसार रहेगी.

(3) दो वर्ष की परिवीक्षावधि में परिवीक्षाधीन जिला रोजगार अधिकारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर राज्य शासन उनकी परिवीक्षावधि में आगे और वृद्धि कर सकेगा या सेवा समाप्त कर सकेगा.

(4) उपरोक्त नियुक्त जिला रोजगार अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 मध्यप्रदेश रोजगार सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1991 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत शासित होंगे.

(5) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम/चार, दिनांक 13 अप्रैल 2005 में उल्लेखित निर्देशों के तहत उपरोक्त जिला रोजगार अधिकारी को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य नियमों अथवा भविष्य में लागू होने वाले नियमों के अध्वधीन रहेंगे.

(6) उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने के पूर्व उप संचालक, उद्योग एवं रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपने आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे एवं उसकी छायाप्रतियां सत्यापित कराकर जमा करानी होगी. सत्यापन पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा. शासकीय/अर्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(7) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**व्ही. के. बरोनिया**, उपसचिव.

## मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. 1594-2143-2016-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री महेन्द्र सिंह धाकड, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल को दिनांक 28 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह धाकड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

श्री महेन्द्र सिंह धाकड, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल के अवकाश अवधि में श्री ओ. पी. सक्सैना, संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्र. 1778-2242-2017-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

### अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	राजगढ़	राजगढ़	श्री जितेन्द्र मेहर, JMFC
2	भोपाल	भोपाल	श्रीमती नीलम मिश्रा, JMFC
3	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	श्रीमती चैनवती तारम, JMFC
4	धार	धार	श्रीमती सारिका गिरि शर्मा, JMFC

No. 1778-2242-2017-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising

of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rajgarh	Rajgarh	Shri Jitendra Mehar, JMFC
2	Bhopal	Bhopal	Smt. Neelam Mishra, JMFC
3	Chhindwara	Chhindwara	Smt. Chainwati Taram, JMFC
4	Dhar	Dhar	Smt. Sarika Giri Sharma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. पी. डहेरिया, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. एफ-26-2-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार-विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा 17 (क) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, वनक्षेत्रपाल (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) एवं उससे वरिष्ठ वनाधिकारी को उनके प्रभाव क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत किये गये अपराधों का प्रशमन करने हेतु अधिकृत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. एफ-26-2-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-26-2-2002-दस-3, दिनांक 3 अगस्त, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 3<sup>rd</sup> August 2017

No. F-26-2002-X-3.—In exercise of the power conferred by Section 17 (A) of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sansodhan Adhiniyam, 2007, the State Government hereby empowers Forest Ranger (Territorial and Wild life) and his Superior Forest Officer to exercise the power to compound offences under the Act in their jurisdiction respectively.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 4656-जि.भू.अ.-2017

सिवनी, दिनांक 26 जुलाई 2017

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

1) चूँकि भारत शासन, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली के क्रमांक.-2010/MW-2/SECR/GC/02 नई दिल्ली दिनांक 03.03.2012 के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडलाफोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

--:--अनुसूची--:--

## 1- भूमि का विवरण:

जिला	तहसील/रा.नि. मं.	नगर /ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा	बरेलीपार रैयत ब.नं.-401 प.ह.नं.- 80	1.81 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा	छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु

- 5 (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4657-जि.भू.अ.-2017

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

चूँकि भारत शासन, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली के क्रमांक.-2010/W-2/SECR/GC/02 नई दिल्ली दिनांक 03.03.2012 के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडलाफोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

---अनुसूची---

#### 4- भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील/रा.नि. मं.	नगर /ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	2	3	4	5	6
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा	बरेलीपार माल ब.नं.- प.ह.नं.- 81	3.17 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां	उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा	छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4658-जि.भू.अ.-2017

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (i) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

चूँकि भारत शासन, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली के क्रमांक.-2010/W-2/SECR/GC/02 नई दिल्ली दिनांक 03.03.2012 के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडलाफोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

---अनुसूची---

1- भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील/रा.नि. मं.	नगर /ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा	भोमा ब.नं.- 460 प.ह.नं.- 75	0.77 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां	उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा	छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. रीडर-1-2017-प्रकरण क्रमांक 35-अ-82-2015-16

मंदसौर दिनांक 29 जुलाई 2017

**(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12-11-2014 आपसी सहमति से भूमि कय निती म.प्र. पत्र भाग-1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14-11-2014 के अन्तर्गत धारा-11 (1) तहत )**

चुंकि, म.प्र शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय निती अधिसूचना दिनांक 12-11-2014 एवं राजपत्र दिनांक 14-11-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागो एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण किये जाने वाली अधोसंरचनाओ के लिये समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है, इस निती के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण सम्भाग उज्जैन की मन्दसौर जिले में नागदा कोटा सेक्शन के रेल्वे समपार फाटक क्रमांक 46 कि.मी. 786/10-12 शामगढ आर.औ.बी. के निर्माण योजना के लिये ग्राम शामगढ, तहसील शामगढ, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार तथा इसके भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों के द्वारा नीती की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" मे सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

10) कय नीती की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीती के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 के दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता हैं नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

#### अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला मन्दसौर तहसील शामगढ ग्राम शामगढ नागदा कोटा सेक्शन के रेल्वे समपार फाटक क्रमांक 46 कि.मी. 786/10-12 शामगढ आर.औ.बी. के निर्माण योजना के लिये ग्राम शामगढ की क्षेत्र फल 6.139 मेसे रकबा 0.918 हे अर्जित किया जाना है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. )		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कस्बा शामगढ	0.918	—	0.918



## अनुसूची (1)

नागदा कोटा सेक्शन के रेल्वे समपार फाटक क्रमांक 46 कि.मी. 786/10-12 शामगढ आर.ओ.बी. के निर्माण योजना

क्रमांक	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा	अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुआ	वृक्ष
				सिंचित	सिंचित	कुआ	वृक्ष
1	निर्मल कुमार पिता हजारी लाल, गंगाबाई बैवा हजारी लाल पाटीदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1443/1/1	0.461	0.310	0.310	-0-	-0-
2	मेतीलाल पिता देवीलाल कुल्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1442/1	0.809	0.210	0.210	-0-	-0-
3	पार्वतीबाई पति कन्हैयालाल कुल्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1442/2 मिन-2	0.500	0.130	0.130	-0-	-0-
4	बापुलाल पिता देव जी कुल्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1442/2 मिन-1	0.310	0.030	0.030	-0-	-0-
5	ईस्माईल पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1226/3	0.619	0.178	0.178	कच्चा कुआ अनउप योगी	5 खेजडी, 1 बबुल, 1 शिवबबुल, 1 खाखरा
6	राकेश पिता उंकारलाल ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1447/1	3.440	0.060	0.060	-0-	-0-
कुल रकबा हेक्टर योग:-			6.139	0.918	0.918		

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. एफ-1-1-2017-रा.स.-यू.ए.1-982.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा (1) के प्रावधानान्तर्गत मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल एतद्द्वारा डॉ. रामदेव भारद्वाज, डायरेक्टर, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

## कार्यालय, कलेक्टर (मण्डी निर्वाचन), दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. एफ-59-17 (मण्डी)-स्था.निर्वा.-2017-83.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 171-दमोह, जिला दमोह के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार व्यापारी प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

स. क्र. (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री मनोज जैन/स्व. श्री कोमलचंद जैन	व्यापारी प्रतिनिधि	नेमीनगर कालोनी, मकान नंबर-4, दमोह.

क्र. एफ-59-17 (मण्डी)-स्था.निर्वा.-2017-85.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 172-पथरिया, जिला दमोह के वार्ड क्रमांक 10-कुमेरिया के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

स. क्र. (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्रीमती सुहागरानी पति श्री कोमल	कृषक प्रतिनिधि (वार्ड क्र. 10, कुमेरिया)	ग्राम-खिरिया छक्का, तहसील पथरिया, जिला दमोह.

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

क्रमांक 3196-भू-अर्जन-2017

उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2017

प्ररूप— "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक 00-16-अ-82-2017.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	2875	0.050
			2870/2	0.083
			2870/1	0.037
			2869	0.040
			2868	0.044
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	396	0.024
			407/2	0.038
			410/2	0.020
			2866/2	0.017
			2865/1	0.084
			2866/1	0.065
			2735	0.008
			2739	0.092
			2740	0.056
			2741	0.059
			2788	0.049
			2789	0.039
			2764	0.081
			2766/2	0.017
			2766/1	0.025
2768/2	0.021			
2768/3	0.018			

1	2	3	4	5
			2768/4	0.020
			2768/1	0.059
			2790	0.027
			2793/1	0.094
			2793/2/1	0.057
			1241	0.024
			1252	0.090
			2793/2/2	0.024
			1243	0.017
			1242/1	0.023
			1242/3	0.029
			1242/2	0.040
			1246	0.068
			1248	0.007
			1251	0.015
			1226/5	0.034
			1250	0.025
			1227/1	0.012
			1226/3	0.002
			1226/4	0.075
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	1224/1	0.075
			1219	0.061
			1225	0.018
			1216	0.050
			1215	0.069
			755	0.076
			1218	0.015
			764/2	0.077
			763/2	0.074
			757	0.084
			758	0.070
			754/2	0.006
			750/2878	0.028
			750	0.026
			749	0.023
			748	0.052
			746	0.055
			737	0.098

1	2	3	4	5
			736/2	0.023
			1247/2	0.009
			736/1	0.024
			1247/1	0.056
			735	0.046
			445	0.095
			394	0.020
			419	0.009
			466/4	0.100
			467/3	0.060
			468	0.120
			434/2	0.015
			435	0.019
			433	0.029
			434/1	0.004
			432/2	0.020
			427/2/2	0.013
			432/1	0.020
			427/1	0.025
उज्जैन	उज्जैन	लेकोड़ा प.ह.न.-12	427/2/1	0.012
			425/1	0.003
			424	0.127
			423	0.013
			407/1	0.016
			409/2/1	0.001
			422/1	0.001
			418	0.018
			411	0.047
			410/1	0.022
			397	0.034
			395/1	0.003
			395	0.040
			386	0.067
			383/1	0.024
			383/2	0.055
			378/2	0.057
			378/1	0.023
			380	0.147
			7	0.084
			31	0.122
			3/1	0.052
			3/2	0.052
			4	0.210
			6	0.172
		कुल योग	<b>104</b>	<b>4.723</b>

कमांक- 3198.....~~13/31~~.....~~82/16~~.....~~17~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	रत्नाखेड़ी प.ह.न.-10	240/5	0.077
			240/4/Min-2	0.012
			240/4/Min-1	0.041
			240/2	0.098
			53	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	रत्नाखेड़ी प.ह.न.-10	54/2	0.093
			48	0.110
			50	0.195
			46/4	0.004
			47	0.068
			41/2/2	0.060
			39/1	0.130
			38/1	0.015
			13	0.023
			12	0.109
			14/3	0.004
			4	0.128
			3	0.077
कुल योग			18	1.264

क्र. 3200-भू-अर्जन-2017

क्र. 12-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	तालोद प.ह.न.-09	316	0.071
<b>कुल योग</b>			<b>1</b>	<b>0.071</b>

क्र. 3202-भू-अर्जन-2017

क्र. 14-अ-82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत हाता ह एक नमदा-मालवा-गभार तलक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।



कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	राणाबड़ प.ह.न.-10	44	0.114
			34	0.037
			32/1	0.082
			33/2	0.027
			30/1	0.095
उज्जैन	उज्जैन	राणाबड़ प.ह.न.-10	29	0.126
			26	0.064
			24/2	0.076
			24/1	0.084
			20	0.114
			19	0.167
कुल योग			11	0.986

क्रमांक 3204-भू-अर्जन-2017

क्रमांक- .....~~11/31-8-2/6-17~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चंदूखेड़ी, प.ह.न.-02	314/2	0.068
			315/2	0.005
			314/1/3	0.002
			315/1/3	0.020
			315/1/1	0.020
उज्जैन	उज्जैन	चंदूखेड़ी, प.ह.न.-02	315/1/2	0.021
			313/1	0.068
			313/2	0.067
			313/3	0.060
			310/2	0.065
			307/1	0.139
			307/2	0.124
			284/2/1	0.054
			283	0.048
			264/2	0.086
			267	0.094
			266/2/2	0.035
			266/2/1	0.150
कुल योग			18	1.126

क्रमांक 3206-भू-अर्जन-2017

कमांक- .....~~10/37-82/16-17~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए !

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया, प.ह.न.-04	54	0.025
			842	0.078
			843	0.033
			840/1	0.001
			836	0.048

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया, प.ह.न.-04	835	0.057
			846	0.078
			847/1	0.006
			834	0.004
			848/2	0.005
			832	0.096
			830/3	0.042
			830/2	0.034
			830/1	0.051
			827/1	0.056
			827/2	0.048
			818	0.199
			820/2/2	0.027
			821/2	0.051
			820/2/1	0.038
			822	0.006
			806/1/1	0.106
			806/1/2/1	0.044
			803/1	0.115
			798/2	0.119
			801/3	0.079
			801/1	0.080
			801/4	0.082
			801/5/2	0.024
			801/5/1	0.029
			801/2	0.031
			687/1/2	0.088
			685	0.135
			684/2	0.069
			684/1	0.022
			683/4	0.012
			683/3	0.082
683/2/2	0.005			
683/2/1	0.055			
683/1	0.021			
682/4	0.032			
681/1/4	0.036			
682/3	0.021			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया, प.ह.न.-04	681/1/2	0.018
			682/2	0.023
			681/1/1	0.014
			680/1	0.034
			679/1	0.073
			682/1	0.034
			681/1/3	0.037
			677/1	0.027
			677/2	0.090
			11	0.004
			10	0.008
			9	0.005
			8	0.098
			4/2	0.034
			4/1	0.004
3	0.029			
कुल योग			59	2.802

क्रमांक 3208-भू-अर्जन-2017

उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक- ~~9/31-82/16-17~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	गोंदिया, प.ह.न.-11	701/3/1	0.124
			699/1	0.044
			704/1	0.048
			696/2	0.116
			696/1	0.008
			695	0.127
			663	0.039
			662	0.027
			647	0.216
			644	0.087
			638/4/2	0.036
			639/2/3	0.028
			637/3/1	0.006
			638/3/2	0.008
			634/1	0.049
			638/3/3	0.027
			634/3	0.032
			636/1	0.053
			637/1	0.002
			638/2/1	0.057
			637/3/2	0.027
			638/1	0.005
			636/2	0.007
			637/2	0.040
			634/2	0.039
			560/4	0.010
		कुल योग	26	1.262

क्रमांक 3210-भू-अर्जन-2017

उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक- ~~7/31-82/16-17~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	काकरिया चीराखान, प.ह.न.-21	498	0.014
			502	0.102
			500/3	0.081
			506/6	0.066
			506/5	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	काकरिया चीराखान, प.ह.न.-21	505/1	0.085
			506/1	0.036
			506/2	0.040
			506/3	0.038
			506/4	0.035
			260/4/Min1	0.045
			260/5	0.004
			260/6	0.001
			260/2	0.004
			260/3	0.046
			256	0.033
			254/1	0.062
			254/2	0.050
			255	0.036
			253	0.103
			252	0.060
			251	0.079
			217/1	0.047
			217/3	0.060
			217/2	0.017
			215	0.112
			205/3	0.119
			205/5	0.068
205/4	0.071			
200/2	0.057			
200/4	0.015			
205/2	0.042			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	काकरिया चीराखान, प.ह.न.-21	205/1	0.066
			200/3/Min-2	0.016
			200/3/Min-1	0.016
			200/5	0.017
			200/1	0.043
			194	0.037
			193	0.030
			192	0.067
			187/1	0.039
			187/3	0.022
			187/2/Min-2	0.063
			191	0.026
			187/2/Min-1	0.203
			185/1	0.099
			184	0.158
			183/5	0.104
			180/1	0.102
			182	0.082
			179/2	0.103
			178	0.028
179/1	0.010			
कुल योग			53	2.967

क्रमांक 3212-भू-अर्जन-2017

क्रमांक- .....~~8/31-82/16-17~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	जलालखेड़ी, प.ह.न.-02	261/1	0.136
			260	0.011
			263/1	0.038
			263/2	0.106
			264/2	0.021
उज्जैन	उज्जैन	जलालखेड़ी, प.ह.न.-02	264/1	0.126
			265/3	0.003
			265/1	0.107
			246/3	0.016
			246/306	0.070
			266/1	0.186
			169/1	0.026

		170/1	0.115
		172/3/1	0.156
		175/2/1	0.148
		23/1	0.074
		24	0.082
		25	0.098
		26	0.072
		31/1	0.093
		28/2	0.009
कुल योग		21	1.693

क्र. 3214-भू-अर्जन-2017

कमांक- ~~15/37-82/1647~~ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	मंगरोला, प.ह.न.-03	333	0.028
			330	0.031
			331	0.051
			332	0.040
			328/2/2/1	0.105
			328/2/1	0.042
			328/1	0.002
			कुल योग	7

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शितिज शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक एफ-2-12-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति, 2016 अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार "मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम-2016" जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, उप सचिव.

# MP INCUBATION AND START-UP PROMOTION SCHEME 2016

## 1 Introduction

To nurture innovation and start-up ecosystem for young entrepreneurs in the state, Government of Madhya Pradesh has introduced "MP Incubation & Start-up Policy 2016" which came into force with effect from 1<sup>st</sup> October 2016.

To implement the Policy, a detailed scheme, called "MP Incubation & Start-up Promotion Scheme 2016" is being introduced, also referred to us 'the Scheme' hereunder.

### 1.1 Title

The scheme shall be called "Madhya Pradesh Incubation & Start-up Promotion Scheme 2016".

### 1.2 Operation Period

This scheme will come into operation with effect from the date 1<sup>st</sup> Oct 2016 and will remain in force till 31<sup>st</sup> Mar 2021.

### 1.3 Applicability

The Scheme will be applicable to Incubators setup in Madhya Pradesh and Start-ups present within these incubators.

Madhya Pradesh Incubation & Start-up Promotion Scheme 2016 shall be applicable to the following domains:

- Internet of Things (IoT)/ E-commerce /Mobile Technology
- Information Technology (IT)/ITeS/BPM/Software development
- Manufacturing including ESDM/Robotics/ 3-D Printing
- Healthcare, Pharmaceutical & Agro Processing
- Biochemical, Agriculture, Food technology & Textile
- Green energy/clean technology/water & recycling
- Education, Social & Rural Entrepreneurship
- Or any innovative idea/technology as approved by State Level Implementation Committee (SLIC)

## 1.4 Definitions

Term	Definition
Year	Duration from 1st April to 31st March.
Entity	A private limited company (as defined in the Companies Act 2013), or a registered partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act 2002)
Eligible Start-up	An entity shall be considered as 'Start-up':- <ul style="list-style-type: none"> <li>• Up to 5 years from the date of its incorporation/registration</li> <li>• If its turnover for any financial years has not exceeded INR 25 Cr.</li> <li>• Entity works towards innovation and development of new products &amp; services driven by technology or Intellectual property.</li> <li>• Has not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence.</li> <li>• Further, the definition of start-up shall be considered as decided by DIPP, Government of India from time to time.</li> <li>• The start-up should be incubated by an incubator registered with Nodal Agency/Policy Implementation Agency in Madhya Pradesh</li> </ul>
Entrepreneur	In the purview of this scheme, a person who sets up a start-up is considered as an entrepreneur
Eligible Incubator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eligible Incubator is an organization which provides a platform to start-ups for business support through facilities like physical space, infrastructure, funding network, mentoring/training and other common facilities.</li> <li>• Eligible Incubators shall be based in MP and registered with Nodal Agency/Policy Implementation Agency.</li> </ul>
Host Institutions (HI)	Host Institutions are Engineering/Technology, Management, Professional Institutes and R&D Institutes including Industry Associations in the state of MP which focus on innovation and entrepreneurial development activities and host a physical incubator in their premises.
Angel Investors	The Angel Investors shall be registered with SEBI/Scheduled Bank/or reputed Institution like IITs/IIMs/DST or GoMP approved Incubators. Angel Investors are those who provide early stage seed funding to entrepreneurs/start-ups.
Venture Capital Funds	Venture Capital Funds manage fund from investors seeking equity stake in start-ups and small-medium enterprises with high growth potential.
Institute of National Importance	Institutes such as IIT, IIM etc. recognized by the Ministry of Human Resource Development, Government of India as institutes of national importance.
Quality Certification	Means ISO, BSI, CMMI or its equivalent certifications from an accredited or authorized organization for quality attributes under set norms then prevalent at the time.
Entry/Exit Clause	The entry/exit clause for any incubate/start-up into any Incubator in MP shall be determined by respective Incubators subject to/in line with the criteria defined by DIPP, GoI for start-up entry/exit clause.

Fixed Cost Investment	Means investment made into plant, machinery & equipment but shall exclude investment made into land & building in purview of the incentives provided under the MP Incubation & Start-up Policy 2016.
Nodal Agency	Means 'Directorate of Industries, Madhya Pradesh' which shall act as Nodal Agency.
Policy	MP Incubation & Start-up Policy 2016
Memorandum	An acknowledgement and registration of an incubator with the Nodal Agency is called a Memorandum

## 2 Incentives

Start-ups & Incubators can also be entitled for other applicable incentives (if eligible) under other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh and Government of India. It may be noted that the below mentioned incentives shall be in addition to the incentives provided from Government of India. However, the same or incentives similar in nature for the same activities cannot be claimed from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh or Government of India if availed through this policy/scheme.

**Also, registration of the incubator with the Nodal Agency or Government of Madhya Pradesh does not make the applicant entitled to any incentives provided under this scheme. The entitlement for incentives has to be approved by the SLIC on case to case basis for registered incubators.**

### 2.1 Incentives to Incubators

Government shall facilitate setting up of incubators in Government Institutions as well as eligible private institutions along with prominent Industry associations. The Host Institutions/Private Institutions/Private Companies/Industry Associations, in quest of grant from state government to setup Incubators, must register the incubator with the Nodal Agency. The selection of an entity, to be eligible for incentives, expressing intent to establish incubators shall be decided by the State Level Implementation Committee.

Selected incubators shall be responsible to provide basic 'plug & play' facilities to start-ups such as:

- Work space with computer and Internet Broadband Connectivity and sector specific technical equipment/ machinery as and where applicable
- Common business, administrative & incubation facilities
- Training & Mentoring (Technical, Financial, Marketing & Legal) etc.

State support (as in subsections 2.1.1 to 2.1.5, wherever applicable) would be provided to registered incubators for initial 3 years, extendable to further 2 years based on performance at the end of which Incubator is expected to be self-sufficient.

#### 2.1.1 Capital Assistance

Eligible Incubators shall be provided capital grant of max 50% for Fixed Cost Investment (investment made in plant, machinery & equipment but shall exclude land & building) for setting up incubators, subject to maximum of INR 50 lacs.

The same limit shall be extended to existing Incubators for capacity expansion subject to the capacity utilization of the existing incubator for 2 years. The minimum capacity utilization, based on the number of seats or the number of incubates benefited by the incubator, should be at least 80% in the last two years.

#### 2.1.2 Operational Assistance

Eligible Incubators shall get the support for recurring expenses as operational assistance up to 50% of actual expenses to the limit of INR 5 lacs per year.

### 2.1.3 Stamp Duty & Registration

Eligible Incubators shall be provided 100% Stamp duty & registration fee reimbursement on purchase/lease of land/Office space/IT building, used for the purposes pertaining to the Incubator only, on commencement of their operation.

### 2.1.4 Mentoring Assistance

To provide mentorship to incubate start-ups from industry leaders (CXOs), academicians and professors of reputed national & international universities or institutes and other experts, eligible Incubators shall be provided mentoring assistance support on reimbursement basis up to a limit of INR 2 lacs per year for a period of 3 years.

### 2.1.5 Start-up Competition Assistance

To promote innovation and to mobilize students into entrepreneurship as a career option, Host Institutions/Incubators shall be encouraged to organize annual start-up competition challenges. Eligible institutes of national importance, state universities & central universities based in MP shall be supported by state government to organize start-up competition fests in which state shall provide assistance up to a limit of INR 1 lakh per event. The assistance will not be applicable for multiple events/competitions in one year and the support may be provided in kind as decided and approved by the SLIC on case to case basis.

## 2.2 Incentives to Start-ups

Entrepreneurs/Start-ups in the incubators are required to be registered as company or under MSMED Act, Government of India before availing incentives (as in subsections 2.2.1 to 2.2.5, wherever applicable). The eligibility for incentives is subject to the start-up being incubated in a registered incubator which is registered with the Nodal Agency, and the incentives approved by the SLIC.

### 2.2.1 Interest Subsidy

Eligible start-ups shall be provided interest subsidy of 8% per annum for a period of 3 years on the rate of interest paid on loans obtained from scheduled banks/financial institutions subject to the maximum limit of INR 4 lacs per year.

The SLIC will have the right to revoke the subsidy in case of default on the part of start-up to pay back the loan or using the loan for purposes other than those intended and planned for the start-up.

### 2.2.2 Lease Rental Subsidy

Reimbursement of 25% of lease rental subsidy to start-up units established in the state operating from Incubators shall be eligible for a period of 3 years subject to the ceiling of INR 3 lacs per year from the date of rent payment to Incubator.

### 2.2.3 Patent/Quality Promotion Subsidy

- a) Cost reimbursement for Patent/Quality certification per unit up to a limit of INR 2 lacs for Domestic & INR 5 lacs for International Patent/Quality Certification upon successfully receiving them.
- b) Within policy period of 5 years, 2 Patent/Quality Certification in each domestic and international category shall be considered.

The reimbursement will be one time reimbursement per patent or certification which shall include the costs of patent/certification fee, prototype development, and other such incidental costs.

#### 2.2.4 Start-up Marketing Assistance

One time start-up marketing assistance of a maximum of INR 10 lacs to eligible start-ups for their product/service launch in the market upon securing of min funding of 25% from a registered angel investor/venture fund/incubator.

#### 2.2.5 Credential Development Assistance

In order to provide a platform to start-ups in public procurement by State Government Departments, Corporations and State Agencies, the state government shall consider and evaluate the possibilities as to how start-ups would be encouraged in Government procurements related to services & goods. The State Government shall consider this endeavour and come up with a separate policy.

### 3 Application and Approval Procedure

Start-ups & Incubators may also be entitled for other applicable incentives (if eligible) under other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh and Government of India. It may be noted that the below mentioned incentives shall be in addition to the incentives provided from Government of India. However, the same incentives for the same costs incurred cannot be claimed from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh or Government of India.

#### 3.1 Expression of Interest by an Incubator

An eligible incubator intending to avail assistance under this scheme may approach the Nodal Agency for registration by an 'Expression of Interest' as per Annexure-1 of this scheme for which a 'Detailed Project Report (DPR)' should be submitted by the incubator specified as per Annexure-7.

#### 3.2 Registration and Memorandum

- a) The Nodal Agency, on receipt of the 'Expression of Interest' from the applicant, for availing assistance, shall register the application. Upon acceptance by the Nodal Agency as a genuine incubator the Nodal Agency will convey the applicant its "Memorandum Number", referred to as 'memorandum' hereunder, along with the indicative list of eligible assistance or alternatively convey the rejection and causes in brief thereof; the conditions, time lines that the applicant has to comply for availing assistance, the obligations of the applicant as well as of the Nodal Agency in relation to disbursement of the assistance and the likely disbursement schedule.
- b) The memorandum number/rejection by the Nodal Agency shall be conveyed in a format as per Annexure-2, within one month from the receipt of Expression of Interest as in para 3.1.
- c) Communication of memorandum doesn't confer any entitlement to the applicant. Entitlement and actual disbursement of the assistance will be an outcome pursuant to formal application in format as in para 3.4, and in accordance with decision of the State Level Implementation Committee (SLIC), subject to fulfilment of conditions specified therein.

#### 3.3 Validity of Memorandum

- a) The memorandum, conveyed as above in para 3.2, shall be valid for a period of three years. However, subject to fulfilment of conditions (i) and (ii) as indicated in section 3 of Annexure-2 of this scheme. Subject to satisfactory clarifications provided for non-fulfilment of conditions (i) and (ii) as indicated in section 3 of Annexure -2 to this scheme the validity of the memorandum can be extended by the Nodal Agency for a period of, at the most, two years.
- b) After the said period of validity, Memorandum shall lapse and eligible applicant, will have no claim for any incentive or benefit to be availed from the government and government will have no responsibility or liabilities thereof with regards to the functioning of the incubator. However, the intending applicant will be free to reinitiate process by filing a fresh Expression of Interest for availing assistance under the scheme, which will then be treated as a separate and a new application.

#### 3.4 Formal Application to Avail Assistance by an Incubator

An eligible incubator will begin application process as follows:

- a) The applicant for availing assistance for setting up incubator shall apply to the Nodal Agency in the application form specified as per Annexure-3(i).



- b) The entitlement of the applicant for evaluation of his claim for the assistance under the Scheme shall arise only after filing of this application. The assistance will be eligible only if the formal application, as under this section, is made during the operation period of MP Incubation & Start-up Policy 2016.
- c) The Nodal Agency will scrutinize the application and place it before the State Level Implementation Committee (SLIC), for a decision on total assistance eligible to the applicant.
- d) The State Level Implementation Committee (SLIC) may call the applicant for a presentation or any clarification in relation to either eligible activity or the cost marked against the Eligible activity, or any of its components.

### **3.5 Formal Application to Avail Assistance by a Start-up**

An eligible start-up will begin application process as follows:

- a) The applicant for availing assistance for start-up shall apply to the Nodal Agency in the application form specified as per Annexure-3(ii) along with a 'Business Plan' specified as per Annexure-8.
- b) The entitlement of the applicant for evaluation of his claim for the assistance under the Scheme shall arise only after filing of this application form. The assistance will be eligible only if the formal application, as under this section, is made during the operation period of MP Incubation & Start-up Policy 2016.
- c) The Nodal Agency will scrutinize the application and place it before the State Level Implementation Committee (SLIC), for a decision on total assistance eligible to the applicant.
- d) The State Level Implementation Committee (SLIC) may call the applicant for a presentation or any clarification in relation to either eligible activity or the cost marked against the Eligible activity, or any of its components.

### **3.6 Decision of State Level Implementation Committee**

The State Level Implementation Committee (SLIC), will record its decision as to approval of assistance in a Format as placed at Annexure -4.

### **3.7 Methodology for Disbursement**

Based on the decision of State Level Implementation Committee (SLIC), the Nodal Agency will convey the final decision on the eligibility of the applicant for the assistance under the Scheme, the schedule of disbursement and the contingent progress milestones in format as per Annexure - 5(i) or 5(ii) (for incubator or start-up respectively).

## **4 Schedule/Phases of Disbursement**

### **4.1 Eligible Incubators**

#### **4.1.1 Capital Assistance**

The disbursement of Capital Assistance will be in three phases as per following schedule:

- a) Release of 25% of eligible assistance will be disbursed after the applicant has already incurred expenditure of 50% share of the project cost in setting up incubator which falls on the incubator/host institution;

- b) Second phase of the assistance amounting to 50% of eligible assistance will be paid when the applicant has incurred expenditure of 100% share of the project cost which falls on the incubator/host institution; and
- c) ~~Third~~ and final phase of the assistance i.e. 25% of eligible assistance will be released when 50% of the start-up capacity created by the incubator is filled up. :

While in case of Existing Incubators which have utilized a minimum of 80% of their seat capacity in last 2 years, and intend to increase their capacity by at least 20 additional seats, the same limit shall be extended to them as per following schedule:

- a) Release of 25% of eligible assistance will be disbursed after the applicant has already incurred expenditure of 50% share of the project cost which falls on the incubator (expansion for at least 20 additional seats) in setting up incubator;
- b) Second phase of the assistance amounting to 50% of eligible assistance will be paid when the applicant has incurred expenditure of 100% share of the project cost which falls on the incubator; and
- c) Third and final phase of the assistance i.e. 25% of eligible assistance will be released when 50% of the additional incubator capacity created by the incubator has filled up.

#### 4.1.2 Operational Assistance

- a) Eligible Incubator will get the support for recurring expenses as operational assistance from the date of eligibility up to 50% of actual expenses to the limit of INR 5 lacs per year;
- b) This will be disbursed by way of reimbursement on submission of audited accounts financial year (FY) wise by the incubators and subject to the ceiling limit; and
- c) These funds are to be utilised in meeting the expenses to run incubation, acceleration and other programmes of the incubators including the general expenses, salaries and other administrative expenses of running the incubator.

#### 4.1.3 Stamp Duty & Registration

The assistance will be provided by way of reimbursement on submission of proof as per actuals and on submission of proof of payment for the incubation centre property and will be disbursed on incurring 100% expenditure of eligible project cost.

#### 4.1.4 Mentoring Assistance

Mentoring Assistance will be paid annually as reimbursements subject to submission of audited accounts by incubator and subject to the ceiling limit.

#### 4.1.5 Start-up Competition Assistance

This one time assistance will be provided by way of reimbursement on submission of proof of expenditures and subject to the ceiling limit of 1 lakh.

### 4.2 Start-ups

The disbursement of incentives to eligible start-ups (incubated by the eligible incubators registered with Nodal Agency/Policy Implementation Agency of Government of Madhya Pradesh as per the Policy) shall be as follows:

#### 4.2.1 Interest Subsidy

- a) Eligible start-ups shall be provided 8% interest subsidy reimbursement bi-annually (half yearly) on bank certificate for realization of due instalments of previous half year which shall be on submission of proofs on actuals and subject to ceiling limit of 4 lacs per year; and
- b) Eligible start-ups shall be entitled to interest subsidy-assistance from the time when actual interest repayment to the lending bank/financial institutions, after moratorium, if any, begins. However, the start-up will be entitled for interest assistance subject to the interest repayment begins during the applicability period of this policy. Start-ups shall be regular in servicing its repayment & interest obligation, as and when due and does not include any kind of penal interest. In the event of penalties and non-repayment of loan/loan interest, the Nodal Agency will have the right to withdraw its assistance and the subsidy.

#### 4.2.2 Lease Rental Subsidy

Eligible start-ups shall be provided 25% lease rental subsidy reimbursement bi-annually (half yearly) on submission of proof of payment with lease rental agreement/undertaking, receipt of lease rental payment etc. on actuals and subject to ceiling limit of 3 lacs per year.

#### 4.2.3 Patent/ Quality Promotion Assistance

- a) Cost reimbursement of Patent/Quality certification shall be provided for successfully obtaining the patent/quality certification on submission of proof of patent/quality certificate, related proof of payment on actuals and subject to ceiling limit of the provision for the costs incurred for the fee, prototype development and other such incidental costs for the certifications; and
- b) Fees paid to patent attorney and patent service centre with supporting receipts of payment shall also be considered eligible expenditure towards cost for computing assistance.

#### 4.2.4 Start-up Marketing Assistance

- a) One time start-up marketing assistance of a maximum of INR 10 lacs shall be provided to start-ups which have launched their product/service in the market and upon securing a minimum of 25% funding from a registered angel investor/venture fund/registered incubator;
- b) In order to avail this assistance, start-ups need to produce their business & marketing related plans to related Incubator in order to present how start-up marketing assistance shall be utilized by them with decided milestones to be achieved as per the plan;
- c) Post its evaluation by incubator, a recommendation letter as in Annexure-6 from incubator shall be submitted by start-up to Nodal Agency along with application;
- d) The incubator providing the recommendation letter to the start-up should oversee the use of the marketing assistance and support the start-up in achieving the milestones and make sure that the assistance is efficiently utilized for the growth of the start-up.

## 5 Implementation Framework

### 5.1 Start-up- Incubator (SI) Cell

A 'Start-up-Incubator (SI) Cell' shall be setup within Nodal Agency which shall facilitate and provide handholding to Start-ups/Incubators/Host Institutions to avail benefits under MP Incubation & Start-up Policy 2016. This professionally run unit shall act as 'One stop solution' for all Start-up/Incubators queries, liaison with Government functionaries, assist in policy implementation plan and engaged with marketing & branding of 'MP Incubation & Start-up Policy 2016'.

### 5.2 Screening Committee

To avail benefits under this scheme, Eligible Start-up/Entrepreneur/Incubator/Host Institution shall submit its application as mentioned in Section 3 of this scheme to 'Start-up-Incubator (SI) Cell' in Nodal Agency. Nodal Agency shall evaluate the proposals obtained from Start-ups/Incubators/Host Institution. For which a Screening Committee shall be constituted within Nodal Agency with the following members:

1	Industries Commissioner	Chairman
2	MD, MPLUN	Member
3	MD & CEO, MP Venture Capital Fund Limited (MPVFL)	Member
4	Head of Start-up-Incubator (SI) Cell	Member Secretary

The Nodal Agency shall submit a report along with required documents to the State Level Implementation Committee for approval.

### 5.3 State Level Implementation Committee (SLIC)

Government of Madhya Pradesh constitutes a State Level Implementation Committee of following members for sanction of assistance under this scheme:

1.	Principal Secretary, MSME	Chairman
2.	Secretary, Finance	Member
3.	Nominee of Higher Education	Member
4.	Nominee of Technical Education & Skill Development	Member
5.	Nominee of Science & Technology	Member
6.	Nominee of Managing Director, TRIFAC	Member
7.	Nominee of applicant's related Department of GoMP	Member
8.	Nominee(s) from Industry/Industry association	Member
9.	Other Nominee(s) from Innovation/Investor/ Incubator Network to be nominated by Government of Madhya Pradesh	Member
10.	Industries Commissioner, Madhya Pradesh	Member-Secretary

The Chairman of the above SLIC committee may co-opt additional members as deemed necessary. This Committee will be fully empowered to take final decisions. The Committee will take decision within 30 days from date of receiving of application. The applicant will be informed within 7 days from the date of decision taken.

It will be the responsibility of the Member-Secretary of the Committee to get an approval case decided within the stipulated time. If decision is not taken within stipulated time, explanation will be sent to the Principal Secretary, MSME, GoMP within 7 days with appropriate reasons.

#### 5.4 State Level Empowered Committee

A State Level Empowered Committee comprising following members is constituted under the policy:

1.	Chief Secretary, GoMP	Chairman
2.	Principal Secretary, Finance	Member
3.	Principal Secretary, Commercial Tax	Member
4.	Principal Secretary, Technical Education & Skill development	Member
5.	Principal Secretary, Science & Technology	Member
6.	Principal Secretary, Commerce, Industry & Employment	Member
7.	Industries Commissioner	Member
8.	MD, MPTRIFAC	Member
10.	Principal Secretary, MSME	Member-Secretary

The State Level Empowered Committee shall be Appeals Committee for SLIC whose decision in any matter shall be final.

#### Index of Principal Documents

1	Expression of Interest by an Incubator	Section 3.1	Annexure- 1
2	In-Principle Approval from Nodal Agency and conveying of 'Memorandum Number'	Section 3.2	Annexure- 2
3	Formal Application by an Incubator (including the assistance sought under MP Incubation & Start-up Policy 2016)	Section 3.4	Annexure- 3(i)
4	Formal Application by a Start-up (including the assistance sought under MP Incubation & Start-up Policy 2016)	Section 3.5	Annexure 3(ii)
5	Decision of SLIC	Section 3.6	Annexure- 4

6	Disbursement Schedule and Progress Milestones as finalized by SLIC for an incubator	Section 3.7	Annexure- 5(i)
7	Disbursement Schedule and Progress Milestones as finalized by SLIC for a start-up	Section 3.7	Annexure- 5(ii)
8	Format for Letter of Recommendation to be Obtained by a Start-up from an Incubator	Section 4.2.4 [Annexure- 3(ii)]	Annexure- 6
9	Detailed Project Report Template for an Incubator	Section 3.1 [Annexure- 3(i)]	Annexure- 7
10	Business Plan Template for a Start-up	Section 3.5 [Annexure- 3(ii)]	Annexure- 8

## 7 Annexures

### Annexure- 1: Expression of Interest by an Incubator (Refer Section 3.1 of the Scheme)

#### I. Introduction:

1.	Name of Entity: Registration details:	
2	Contact: Contact/Authorized person Designation Address Mobile No: Email: Telephone: Fax: Website:	
3.	Identification Proof of the Authorized person (Aadhar/ PAN/Passport/Bank account/Voter ID/ Other )	

#### II. Organization Details:

1.	Type of organization that requires assistance under this scheme	Proprietorship / Partnership / Host Institute/ Association/MSMED ACT registered company/PVT LD/Other
----	---	--

2.(i)	Registration details:- enclose Memorandum and Article of Association	
(ii)	Certificate of Incorporation (please provide self-certified copy)	
(iii)	PAN Number (please provide self - certified copy)	
(iv)	Service Tax & Central Excise Certificate (please provide self- certified copy)	
3.	Name, address & contact details of the Directors/ Promoters along with the PAN Numbers (Please provide the CA Certificate showing the shareholding pattern)	

### III. Basic Information of the Incubation Centre:

1.	Location (with land details/lease details etc.)	
2.	Tentative area along with No. of available incubate seats if applicable	
3.	Planned Investment	

4.	Association with any Academic Institution/host institution	
5.	Whether the incubation centre has applied for/is being set up/ has been set up under public (government, semi-government, local government) funding? Provide details	
6.	Number of Full time employees engaged	
7.	Duration of Incubation Period in case of existing Incubator	
8.	Tentative date of start of Operation of Incubator	

### IV. DPR of the Incubator:

The Incubator needs to submit its DPR to be registered with the Nodal Agency and be eligible to receive the Memorandum Number and applicable incentives as specified in Annexure-7.

I hereby declare that our incubator is/will be based in Madhya Pradesh and sought incentives, if any, shall not be claimed from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh during MP Incubation & Start-up Policy 2016 applicable period.

**Signature of Authorized Signatory**

The duly filled-in, signed and stamped application form along with required documents should be submitted to 'Directorate of Industries' 4th Floor, Vindhyachal Bhavan, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin – 462003(Tel: +91-755- 2677988/ Fax: +91-755- 2677943/ Email: [ic-mp@nic.in](mailto:ic-mp@nic.in))

**Annexure- 2: Format for Memorandum to Incubator**  
(Refer Section 3.2 of the Scheme)

To,

date:

-----  
-----

**Reference:** your Expression of Interest dated: -----

**Sub:** Memorandum under the scheme for MP Incubation & Start-up policy 2016

Sir/ Madam,

1. We are pleased to acknowledge your application dated \_\_\_\_\_ seeking assistance under the scheme for MP Incubation & Start-up Policy 2016 with memorandum no. \_\_\_\_\_. In future correspondences please quote the memorandum number allotted to you.

2. Subject to the adherence to conditions as mentioned in section 3 of this letter and subject to approval by the State Level Implementation Committee (SLIC), the assistance that you have shown intent to avail under the scheme are as under:

S.N.	Assistance type
1.	Capital Assistance
2.	Operational Assistance
3.	Stamp Duty & Registration
4	Mentoring Assistance
5.	Start-up Competition Assistance



3. This Memorandum is valid for a period of three years from the date of issuance of this letter subject to fulfilment of the following conditions:-

- i. Financial Closure of the Project as per the DPR submitted as specified in **Annexure-7** for computing financial closure, the applicant will be allowed to incorporate eligible assistance from GoMP, GoI, under respective schemes for assistance, fees from incubates, funds to be raised from market/venture funds/angel investors, along with own equity and debt that the applicant will take, etc.
- ii. Component/ activity wise implementation progress as per the DPR

4. In case, the above conditions are not met by the end of the validity period of memorandum, the validity may be extended for an additional period of maximum two years subject to a satisfactory justification for the delay of the conditions mentioned in section 3 above.

5. Application for extending validity of acknowledgment shall be made one month before the expiry of three year validity period. In case, the validity period is extended, a detailed timelines for fulfilling the following conditions should be intimated to the Nodal Agency.

- i. Component/ activity wise implementation progress as per the DPR

6. In an instance where the criteria is not met within the validity period, with or without extension, the memorandum shall lapse and the applicant would not have any claim for any incentive /

benefit against the Government. However, applicant can submit a new Expression of Interest which would not be linked to the application referenced herein and will be treated as a new application.

7. You are informed that benefits as eligible incubator will be available to you only if Incubator is based in Madhya Pradesh and it shall not claim the same incentives from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh during the MP Incubation & Start-up Policy 2016 applicable period.

Further, incubators please note that if you avail Capital Assistance, you will have to run incubation facility for a minimum period of 5 years.

8. You are further informed that in relation to the assistance indicated in section 2 of the letter, registration of the incubator with the Nodal Agency or Government of Madhya Pradesh does not make the applicant/Incubator entitled to any incentives provided under this scheme. The entitlement for incentives has to be approved by the SLIC on case to case basis for registered incubators.

**Yours sincerely**

**Head of Start-up-Incubator (SI) Cell**

**Annexure- 3(i): Application Form for Availing Assistance by an Incubator**  
(Refer Section 3.4 of the Scheme)

**Allotted Incubator Memorandum Number: -----**

**I. Introduction:**

1	Name of the Incubation Centre	
10	Name, designation & contact details of the Authorized Person	(please enclose copy of authorisation letter)
11	Name and address of Bank where account exists	
12	Bank Account Number	
13	IFSC Code	

**II. Incubator Details:**

1	Area of the land / office space	
2	Proof of land/office space possession	
3	List of existing Start-ups in Incubator/List of Start-ups who may have shown interest in getting incubated, if available	

**III. Business Incubation and Development Schedule (Projections):**

Component	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
No. of new start-ups to be admitted for incubation						
No of start-ups to be graduated from the incubator						
No of training/incubation/acceleration programme to be conducted						
No of incubates/resources/start-ups to be trained						
No of Mentorship programs/workshops/seminars to be organized						

**IV. Final Projections of the Incubation Centre (in Rs.):**

Component	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total

Non recurring expenses							
1.	Capital expenses						
Recurring operational expenses							
1	Administration expenses						
2	Manpower expenses						
3	Utility & Maintenance expenses						
4	Branding & marketing expenses						
5	Mentoring/training programmes expense						
6	Any other expenses						
Total projected expenses							

**V. Means of Funds:**

Medium	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
GoMP Support						
Assistance from Government of India						
Fee collection from incubate/start-ups						
Fund raising from market						
Other means if any						
Total						

**VI. Assistance sought under the MP Incubation & Start-up Promotion Scheme 2016:**

Sr. No	Assistance Type	Projected / Actual Expenditure (Actual in case of reimbursements)	Claimed Assistance	Remarks
1.	Capital Assistance			
2.	Operational Assistance			
3.	Stamp Duty & Registration			

4.	Mentoring Assistance			
5.	Start-up Competition Assistance			
Total Assistance				

I, on behalf of my organisation, hereby declare the following:

- 1) Information, statements & other documents given herein are to the best of my knowledge & belief, true and correct in all particulars.
- 2) I declare that should I intend to avail capital assistance in this Scheme, I will be running the incubation facility for a minimum of 5 years. I will also submit audited financial statements of my incubation centre every year to the Nodal Agency/Policy Implementation Agency within 4 months of the preceding financial year.
- 3) I am duly authorized to sign an application and details and documents submitted in this application.
- 4) I undertake that our incubator will be based in Madhya Pradesh and above sought incentives shall not be claimed from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh during the MP Incubation & Start-up Policy 2016 applicable period.

**Signature of Authorized Signatory**

The duly filled-in, signed and stamped application form along with required documents should be submitted to 'Directorate of Industries' 4th Floor, Vindhyachal Bhavan, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin – 462003 (Tel: +91-755- 2677988/ Fax: +91-755- 2677943/ Email: [ic-mp@nic.in](mailto:ic-mp@nic.in))

**Annexure- 3(ii): Application Form for Availing Assistance by Start-ups**  
(Refer Section 3.5 of the Scheme)

**I. Introduction:**

1	Name of Start-up	
11	Key team members details along with their profiles (details of each directors/promoters)	
12	Total no of employees other than directors/promoters	

**II. Details of Start-up:**

S. No.	Description	
1	Nature of start-up: (Private Ltd./Limited Liability Partnership/Registered Partnership/ Others, please specify)	
2	Stage of start-up:	
3	Any government (central or state) scheme under which applied/getting/got any assistance	
4	Start-up Domain Focus Area: (As per 'Applicability' section-3 of the scheme) In case of Any Innovative Idea/technology based start-up, kindly mention here for SLIC approval	
5	Bank Account details of Start-up (with IFSC code) (Details of start-up's bank account not of Individual's Bank A/c No.)	
<b>Incubator details</b>		
1	Incubator Name & Address (in which start-up is based)	
2	Duration of Incubation period	
3	Contact details of Head of Incubator including Tel./Mobile/email etc.	
4	Bank Account of Incubator including IFSC code	

**III. Funding Structure:**

Start-up investor detail	Name of investor	Contact (email/mobile no.)	Contribution by Investor so far	Investors' projected plan to invest in your start-up
Boot strapped				
Angel Investors				
Venture Capital				
Incubator				
If others such as debt/borrowing, please specify				

i. Details of Authorized Capital:

ii. Share/ Equity Distribution/ Composition Details:

**IV. Other Venture Details:**

In case of any past experience in floating a start-up venture, kindly provide the following details:

i. Name:

ii. Time duration:

iii. Business focus areas:

iv. Funding details:

v. Any other related details:

**V. Assistance sought under the MP Incubation & Start-up Promotion Scheme 2016:**

Sr. No	Assistance Type	Claimed Assistance	Remarks
1.	Interest subsidy		
2.	Lease rental subsidy		
3.	Patent/Quality promotion subsidy		
4.	Start-up marketing assistance (*)		
Total Assistance sought			

**Other documents enclosed:**

- i. Business Plan as specified in **Annexure-8**
- ii. Letter of recommendation from related Incubator as per **Annexure-6**
- iii. (\*) in case for claiming Start-up marketing assistance, Letter of intent required from registered angel/venture funds/registered incubators for securing min 25% funding from them
- iv. MoU from Investor
- v. Profiles of each directors/promoters

I on behalf of my organization hereby declare the following:

1. That our start-up:
  - i. has been incorporated/registered in India not prior to 5 years
  - ii. will have registered office in Madhya Pradesh
  - iii. Is working towards innovation and development of new products & services driven by technology or Intellectual Property
  - iv. Has not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence.
  - v. Is not availing similar assistance from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh during the MP Incubation & Start-up Policy 2016 applicable period
2. Information, statements and documents given herein are to the best of my knowledge & belief, true and correct in all particulars.
3. I am duly authorized to sign an application and details and documents submitted in this application.

**Date:**

**Place:**

**Signature of Authorized Signatory**

**Counter signature of head/co-ordinator of Incubator**

The duly filled-in, signed and stamped application form along with required documents and recommendation letter from Incubator as per annexure-6 should be submitted to 'Directorate of Industries' 4th Floor, Vindhyachal Bhavan, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin - 462003(Tel: +91-755- 2677988/ Fax: +91-755- 2677943/ Email: [ic-mp@nic.in](mailto:ic-mp@nic.in))

**Annexure- 4: Format for 'Decision' & 'Notes and Recommendations' by  
State Level Implementation Committee**  
(Refer Section 3.6 of the Scheme)

Select Applicant type:

Incubator

Start-up

Name of applicant				
Assistance sought:				
S. No.	Incentives	Approximate amount of assistance sought from Government	Actual / Indicative Expenditure (Actual in case of reimbursements)	Remark

Descriptive background (as proposed by screening committee for meeting)			
Notes and Recommendations by SLIC			
Approval granted by SLIC			
S. No.	Incentives	Max eligible amount of assistance	Remark

Conditions for disbursement (as per assistance type)

Approvals/Signatures of SLIC Members:

- |    |     |
|----|-----|
| 1. | 6.  |
| 2. | 7.  |
| 3. | 8.  |
| 4. | 9.  |
| 5. | 10. |



**Annexure- 5(i): Format for Final Approval Letter for Incubator**  
(Refer Section 3.7 of the Scheme)

To,

Date:

Ref: Allotted Incubator Memorandum Number -----

Subject: Approval for assistance for incubator under the scheme of MP Incubation and Start-up Policy 2016

Dear Sir/Madam,

This is to inform the approval/refusal of assistance under the scheme of MP Incubation & Start-up Policy 2016 for your incubator at..... (Location).....in Madhya Pradesh with an estimated investment of .....(INR).....

You are conveyed approval of financial assistance as follows, subject to fulfilment of below mentioned conditions:

S. No.	Assistance	Max eligible assistance amount	Schedule of disbursement	Remark
1	Capital Assistance		In 3 phases	Reimbursement as per approval
2	Operational Assistance		On submission of audited accounts	Reimbursement subject to max limit
3	Stamp Duty & Registration		On submission of proof of payment	Reimbursement as per actuals
4	Mentoring Assistance		On submission of audited accounts	Reimbursement subject to max limit
5	Start-up Competition Assistance		On submission of proof of expenditures	Reimbursement subject to max limit
Total (INR)				

Subject to the adherence with following conditions:

- i. In case of availing Capital Assistance, Incubator has to run incubation facility for a minimum period of 5 years.
  - ii. Incubator will not avail similar incentives from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh.
  - iii. Incubator will inform about any other assistance obtained from any other Government Organization including quantum of assistance within 1 month of obtaining such assistance.
  - iv. With respect to the performance of Incubator, it shall submit a performance report to undersigned annually.
- 
- v. State support would be provided to incubators for initial 3 years, extendable to further 2 years based on performance at the end of which Incubator is expected to be self-sufficient.

Yours Sincerely

**Member-Secretary**

**State Level Implementation Committee (SLIC)**

**Annexure- 5(ii): Format for Final Approval Letter for Start-up**  
(Refer Section 3.7 of the Scheme)

To,

-----  
-----

Date:

Ref: Application dated -----

Subject: Approval for assistance for start-up under the scheme of MP Incubation and Start-up Policy 2016

Dear Sir/Madam,

This is to inform ~~the~~ approval/refusal of assistance under the scheme of MP Incubation & Start-up Policy 2016 for your start-up at..... (Incubator & Incubator's location).....in Madhya Pradesh with an estimated investment of ..... (INR).....

You are conveyed approval of financial assistance as follows, subject to fulfilment of below mentioned conditions:

S. No.	Assistance	Max eligible assistance amount	Schedule of disbursement	Remark
1	Interest subsidy		Biannually (half yearly) on bank certificate for realization of due instalments of previous half year	Reimbursement on actuals and subject to ceiling limit of the provision
2	Lease rental subsidy		Biannually (half yearly) on submission of proof of payment with lease rental agreement/undertaking; receipt of lease rental payment etc.	Reimbursement on actuals and subject to ceiling limit of the provision
3	Patent/Quality promotion subsidy		On successfully obtaining the certificate	Reimbursement on actuals and subject to ceiling limit of the provision
4	Start-up marketing assistance		On submission of claim	Disbursement subject to ceiling limit
Total (INR)				

Subject to the adherence with following conditions:

- With respect to the performance of start-up, director/promoter shall submit start-up performance report on its business growth, sales, no of employees etc. to undersigned annually.

Under this authorisation within the policy applicability period, the assistance to start-up will cease once it achieves annual turnover of INR 25 Cr. or it crosses the time limit of 5 years from the date of its incorporation/registration or doesn't meet the criteria of start-ups as defined by DIPP, GoI.

Yours Sincerely

Member-Secretary

State Level Implementation Committee (SLIC)

**Annexure- 6: Format for Letter of Recommendation from an Incubator**  
[Refer Section 4.2.4 & Annexure- 3(ii) of the Scheme]

<< Letter head of the Incubator >>

I/We ..... (Name(s) of Head/Secretary/Coordinator of Incubator), in my capacity as ..... (Designation at Incubator) of .....

(Name of Incubator/Host Institute), have examined the application form of ..... (Name of start-up, the name must be same as used in company/LLP/partnership/registration/incorporation).

After due examination, I/We recommend that the business being pursued by the applicant is valid under the provision of MP Incubation & Start-up policy 2016. The start-up is in the ..... stage and is working in the field of ..... (Domain of start-up). It is being guided under the mentorship of ..... (Name & designation of academic/industry leader, if any).

I confirm that, the start-up has secured assurance of ..... (Amount of funding in INR) from ..... (Name & contact details of VC/Angel Investor/Incubator).

*(Mention 'NA', in case start-up has not secured any funding from registered Angel Investor/VC/Incubator)*

I/We, hereby recommend the start-up be considered for availing assistance under MP Incubation & start-up policy 2016.

I/We agree to abide by the rules and regulations of Government of MP while disbursing the funds.

**Authorized signatory of Incubator**

Date:

Place:

Note:

- i. The prescribed format of the letter of recommendation must not be modified.
- ii. The letter of recommendation must on the letter head of the Incubator/Host Institute.

The letter of recommendation must be complete in all respect. Incomplete letter in any regard, shall not be considered.

## **Annexure- 7: Detailed Project Report (DPR) for an Incubator** (Refer Section 3.1 & Annexure-3(i) of the Scheme)

The incubator must submit a detailed DPR along with the expression of interest to be eligible for a memorandum being issued by the Nodal Agency. The DPR must contain the elements of the template given below.

- Executive Summary
- Project Background
  - Project Title
  - Project Scope
  - Project Type
    - Roll-out
  - Initiator Details
  - Organizational Strengths
  - Focus areas
  - Project Location
    - Readiness for implementation
    - Implementation Alternatives
- Project Overview:
  - Project Charter
  - Key Stakeholders
  - Problems and Issues addressed
  - Objectives to Interventions
    - Current Problems and Issues
    - Causes and effects of the problems / issues
    - Category of services
  - Envisaged solutions and Improvements
  - Past experience and lesson learnt
  - Project activities and timelines
- Financial Overview
  - Summary of Total Project Cost
    - Roll-out Cost
  - Funding strategy- Source of Funding
- Project Details
  - Goal and Objectives
    - Goal of the project
    - Objectives
- Implementation Strategy
  - Implementation Model
  - Phasing

- Phasing Criteria
  - Phasing of deliverables
  - Key activities to be undertaken
  - Governance Structure
    - Steering committee
    - Project team composition
    - Monitoring and Evaluation framework
  - Stakeholders Analysis
  - Services and Service Levels
  - Risk Management
  - Overview of Infrastructure
    - Functional features and requirements of the proposed services
    - Overall approach adopted for architecture
    - Layered view of system
    - IT infrastructure architecture
      - Overall architecture
      - Intra state architecture
    - Other infrastructure and its architecture
  - Management Strategy
    - Communication strategy
      - Administration /employee centric strategy
      - Communication plan
    - Capacity Building Requirement
      - Classification of stakeholders for training
      - Training requirements
      - Training Plan
    - Marketing Plan
- 12 Financial Estimates
- Assumptions
  - Financial estimates- Summary
    - Implementation
    - Rollout Alternatives
  - Cost Benefit Analysis
    - Tangible benefits
    - Intangible benefits
    - Cost Estimation of Application, Web, Application and Database servers, plant and machinery, etc.
  - Business Model / PPP options

## **Annexure- 8: Business Plan for a Start-up** (Refer Section 3.5 & Annexure-3(ii) of the Scheme)

### ***Business Plan for a Start-up Business***

The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you like, except for the *Executive Summary*, which should be done last. Skip any questions that do not apply to your type of business. When you are finished writing your first draft, you'll have a collection of small essays on the various topics of the business plan. Then you'll want to edit them into a smooth-flowing narrative.

The real value of creating a business plan is not in having the finished product in hand; rather, the value lies in the process of researching and thinking about your business in a systematic way. The act of planning helps you to think things through thoroughly, study and research if you are not sure of the facts, and look at your ideas critically. It takes time now, but avoids costly, perhaps disastrous, mistakes later.

This business plan is a generic model suitable for all types of businesses. However, you should modify it to suit your particular circumstances. Before you begin, review the section titled *Refining the Plan*, found at the end. It suggests emphasizing certain areas depending upon your type of business (manufacturing, retail, service, etc.). It also has tips for fine-tuning your plan to make an effective presentation to investors or bankers. If this is why you're creating your plan, pay particular attention to your writing style. You will be judged by the quality and appearance of your work as well as by your ideas.

It typically takes several weeks to complete a good plan. Most of that time is spent in research and re-thinking your ideas and assumptions. But then, that's the value of the process. So make time to do the job properly. Those who do never regret the effort. And finally, be sure to keep detailed notes on your sources of information and on the assumptions underlying your financial data.

**Business Plan****Authorized Signatory**

Start-up Name .

Address Line 1

Address Line 2

City, Postal Code

Telephone .

Fax

E-Mail

**Table of Contents**

- I. Executive Summary 37
- II. General Company Description 37
- III. Products and Services 37
- IV. Marketing Plan 38
- V. Operational Plan 43
- VI. Management and Organization 47
- VII. Personal Financial Statement 47
- VIII. Start-up Expenses and Capitalization 48
- IX. Financial Plan 48
- X. Appendices 50
- XI. Refining the Plan 50

### ✓ I. Executive Summary

Write this section last.

We suggest that you make it two pages or fewer.

Include everything that you would cover in a five-minute interview.

Explain the fundamentals of the proposed business: What will your product be? Who will your customers be? Who are the owners? What do you think the future holds for your business and your industry?

Make it enthusiastic, professional, complete, and concise.

If applying for a loan, state clearly how much you want, precisely how you are going to use it, and how the money will make your business more profitable, thereby ensuring repayment.

### ✓ II. General Company Description

What business will you be in? What will you do?

**Mission Statement:** Many companies have a brief mission statement, usually in 30 words or fewer, explaining their reason for being and their guiding principles. If you want to draft a mission statement, this is a good place to put it in the plan, followed by:

**Company Goals and Objectives:** Goals are destinations—where you want your business to be. Objectives are progress markers along the way to goal achievement. For example, a goal might be to have a healthy, successful company that is a leader in customer service and that has a loyal customer following. Objectives might be annual sales targets and some specific measures of customer satisfaction.

**Business Philosophy:** What is important to you in business?

To whom will you market your products? (State it briefly here—you will do a more thorough explanation in the *Marketing Plan* section).

Describe your industry. Is it a growth industry? What changes do you foresee in the industry, short term and long term? How will your company be poised to take advantage of them?

Describe your most important company strengths and core competencies. What factors will make the company succeed? What do you think your major competitive strengths will be? What background experience, skills, and strengths do you personally bring to this new venture?

**Legal form of ownership:** Sole proprietor, Partnership, Corporation, Limited liability corporation (LLC)? Why have you selected this form?

### ✓ III. Products and Services

Describe in depth your products or services (technical specifications, drawings, photos, sales brochures, and other bulky items belong in *Appendices*).



What factors will give you competitive advantages or disadvantages? Examples include level of quality or unique or proprietary features.

What are the pricing, fee, or leasing structures of your products or services?

#### ✓ IV. Marketing Plan

##### **Market research - Why?**

No matter how good your product and your service, the venture cannot succeed without effective marketing. And this begins with careful, systematic research. It is very dangerous to assume that you already know about your intended market. You need to do market research to make sure you're on track. Use the business planning process as your opportunity to uncover data and to question your marketing efforts. Your time will be well spent.

##### **Market research - How?**

There are two kinds of market research: primary and secondary.

Secondary research means using published information such as industry profiles, trade journals, newspapers, magazines, census data, and demographic profiles. This type of information is available in public libraries, industry associations, chambers of commerce, from vendors who sell to your industry, and from government agencies.

Start with your local library. Most librarians are pleased to guide you through their business data collection. You will be amazed at what is there. There are more online sources than you could possibly use. Your chamber of commerce has good information on the local area. Trade associations and trade publications often have excellent industry-specific data.

Primary research means gathering your own data. For example, you could do your own traffic count at a proposed location, use the yellow pages to identify competitors, and do surveys or focus-group interviews to learn about consumer preferences. Professional market research can be very costly, but there are many books that show small business owners how to do effective research themselves.

In your marketing plan, be as specific as possible; give statistics, numbers, and sources. The marketing plan will be the basis, later on, of the all-important sales projection.

##### **Economics**

Facts about your industry:

- What is the total size of your market?
- What percent share of the market will you have? (This is important only if you think you will be a major factor in the market.)
- Current demand in target market.
- Trends in target market—growth trends, trends in consumer preferences, and trends in product development.
- Growth potential and opportunity for a business of your size.

- What barriers to entry do you face in entering this market with your new company? Some typical barriers are:
  - ✓ High capital costs
  - ✓ High production costs
  - ✓ High marketing costs
  - ✓ Consumer acceptance and brand recognition
  - ✓ Training and skills
  - ✓ Unique technology and patents
  - ✓ Unions
  - ✓ Shipping costs
  - ✓ Tariff barriers and quotas
  
- And of course, how will you overcome the barriers?
- How could the following affect your company?
  - ✓ Change in technology
  - ✓ Change in government regulations
  - ✓ Change in the economy
  - ✓ Change in your industry

### Product

In the *Products and Services* section, you described your products and services as you see them. Now describe them from your customers' point of view.

### Features and Benefits

List all of your major products or services.

For each product or service:

- Describe the most important features. What is special about it?
- Describe the benefits. That is, what will the product do for the customer?

Note the difference between features and benefits, and think about them. For example, a house that gives shelter and lasts a long time is made with certain materials and to a certain design; those are its features. Its benefits include pride of ownership, financial security, providing for the family, and inclusion in a neighbourhood. You build features into your product so that you can sell the benefits.

What after-sale services will you give? Some examples are delivery, warranty, service contracts, support, follow-up, and refund policy.

### Customers

Identify your targeted customers, their characteristics, and their geographic locations, otherwise known as their demographics.

The description will be completely different depending on whether you plan to sell to other businesses or directly to consumers. If you sell a consumer product, but sell it through a channel of distributors, wholesalers, and retailers, you must carefully analyse both the end consumer and the middleman businesses to which you sell.

You may have more than one customer group. Identify the most important groups.

Then, for each customer group, construct what is called a demographic profile:

- Age
- Gender
- Location
- Income level
- Social class and occupation
- Education
- Other (specific to your industry)
- Other (specific to your industry)

For business customers, the demographic factors might be:

- Industry (or portion of an industry)
- Location
- Size of firm
- Quality, technology, and price preferences
- Other (specific to your industry)
- Other (specific to your industry)

### Competition

What products and companies will compete with you?

List your major competitors:

(Names and addresses)

Will they compete with you across the board, or just for certain products, certain customers, or in certain locations?

Will you have important indirect competitors? (For example, video rental stores compete with theatres, although they are different types of businesses.)

How will your products or services compare with the competition?

Use the Competitive Analysis table below to compare your company with your two most important competitors. In the first column are key competitive factors. Since these vary from one industry to another, you may want to customize the list of factors.

In the column labelled "Me", state how you honestly think you will stack up in customers' minds. Then check whether you think this factor will be a strength or a weakness for you. Sometimes it is hard to analyse our own weaknesses. Try to be very honest here. Better yet, get some

disinterested strangers to assess you. This can be a real eye-opener. And remember that you cannot be all things to all people. In fact, trying to be causes many business failures because efforts become scattered and diluted. You want an honest assessment of your firm's strong and weak points.

Now analyse each major competitor. In a few words, state how you think they compare.

In the final column, estimate the importance of each competitive factor to the customer.

1 = critical; 5 = not very important.

**Table 1: Competitive Analysis**

Factor	Me	Strength	Weakness	Competitor A	Competitor B	Importance to Customer
Products						
Price						
Quality						
Selection						
Service						
Reliability						
Stability						
Expertise						
Company						
Reputation						
Location						
Appearance						
Customer						
Sales Method						
Credit Policies						
Advertising						
Image						

Now, write a short paragraph stating your competitive advantages and disadvantages.

### **Niche**

Now that you have systematically analysed your industry, your product, your customers, and the competition, you should have a clear picture of where your company fits into the world.

In one short paragraph, define your niche, your unique corner of the market.

### **Strategy**

Now outline a marketing strategy that is consistent with your niche.

### **Promotion**

How will you get the word out to customers?

Advertising: What media, why, and how often? Why this mix and not some other?

Have you identified low-cost methods to get the most out of your promotional budget?

Will you use methods other than paid advertising, such as trade shows, catalogues, dealer incentives, word of mouth (how will you stimulate it?), and network of friends or professionals?

What image do you want to project? How do you want customers to see you?

In addition to advertising, what plans do you have for graphic image support? This includes things like logo design, cards and letterhead, brochures, signage, and interior design (if customers come to your place of business).

Should you have a system to identify repeat customers and then systematically contact them?

### **Promotional Budget**

How much will you spend on the items listed above?

Before start-up? (These numbers will go into your start-up budget.)

Ongoing? (These numbers will go into your operating plan budget.)

### **Pricing**

Explain your method or methods of setting prices. For most small businesses, having the lowest price is not a good policy. It robs you of needed profit margin; customers may not care as much about price as you think; and large competitors can under-price you anyway. Usually you will do better to have average prices and compete on quality and service.

Does your pricing strategy fit with what was revealed in your competitive analysis?

Compare your prices with those of the competition. Are they higher, lower, the same? Why?

How important is price as a competitive factor? Do your intended customers really make their purchase decisions mostly on price?

What will be your customer service and credit policies?

### **Proposed Location**

Probably you do not have a precise location picked out yet. This is the time to think about what you want and need in a location. Many start-ups run successfully from home for a while.

You will describe your physical needs later, in the *Operational Plan* section. Here, analyse your location criteria as they will affect your customers.

Is your location important to your customers? If yes, how?

If customers come to your place of business:

Is it convenient? Parking? Interior spaces? Not out of the way?

Is it consistent with your image?

Is it what customers want and expect?

Where is the competition located? Is it better for you to be near them (like car dealers or fast food restaurants) or distant (like convenience food stores)?

### **Distribution Channels**

How do you sell your products or services?

Retail

Direct (mail order, Web, catalogue)

Wholesale

Your own sales force

Agents

Independent representatives

Bid on contracts

### **Sales Forecast**

Now that you have described your products, services, customers, markets, and marketing plans in detail, it's time to attach some numbers to your plan. Use a sales forecast spreadsheet to prepare a month-by-month projection. The forecast should be based on your historical sales, the marketing strategies that you have just described, your market research, and industry data, if available.

You may want to do two forecasts: 1) a "best guess", which is what you really expect, and 2) a "worst case" low estimate that you are confident you can reach no matter what happens.

Remember to keep notes on your research and your assumptions as you build this sales forecast and all subsequent spreadsheets in the plan. This is critical if you are going to present it to funding sources.

## ✓ **V. Operational Plan**

Explain the daily operation of the business, its location, equipment, people, processes, and surrounding environment.

### **Production.**

How and where are your products or services produced?

Explain your methods of:

- Production techniques and costs
- Quality control
- Customer service
- Inventory control
- Product development

### **Location**

What qualities do you need in a location? Describe the type of location you'll have.

Physical requirements:

- Amount of space
- Type of building
- Zoning
- Power and other utilities

Access:

Is it important that your location be convenient to transportation or to suppliers?

Do you need easy walk-in access?

What are your requirements for parking and proximity to freeway, airports, railroads, and shipping centres?

Include a drawing or layout of your proposed facility if it is important, as it might be for a manufacturer.

Construction? Most new companies should not sink capital into construction, but if you are planning to build, costs and specifications will be a big part of your plan.

Cost: Estimate your occupation expenses, including rent, but also including maintenance, utilities, insurance, and initial remodelling costs to make the space suit your needs. These numbers will become part of your financial plan.

What will be your business hours?

### **Legal Environment**

Describe the following:

- Licensing and bonding requirements
- Permits
- Health, workplace, or environmental regulations
- Special regulations covering your industry or profession.
- Zoning or building code requirements

- Insurance coverage
- Trademarks, copyrights, or patents (pending, existing, or purchased)

#### **Personnel**

- Number of employees
- Type of labour (skilled, unskilled, and professional)
- Where and how will you find the right employees?
- Quality of existing staff
- Pay structure
- Training methods and requirements
- Who does which tasks?
- Do you have schedules and written procedures prepared?
- Have you drafted job descriptions for employees? If not, take time to write some. They really help internal communications with employees.
- For certain functions, will you use contract workers in addition to employees?

#### **Inventory**

- What kind of inventory will you keep: raw materials, supplies, finished goods?
- Average value in stock (i.e., what is your inventory investment)?
- Rate of turnover and how this compares to the industry averages?
- Seasonal build-ups?
- Lead-time for ordering?

#### **Suppliers**

Identify key suppliers:

- Names and addresses
- Type and amount of inventory furnished
- Credit and delivery policies
- History and reliability

Should you have more than one supplier for critical items (as a backup)?

Do you expect shortages or short-term delivery problems?

Are supply costs steady or fluctuating? If fluctuating, how would you deal with changing costs?

#### **Credit Policies**

- Do you plan to sell on credit?
- Do you really need to sell on credit? Is it customary in your industry and expected by your clientele?
- If yes, what policies will you have about who gets credit and how much?



- How will you check the creditworthiness of new applicants?
- What terms will you offer your customers; that is, how much credit and when is payment due?
- Will you offer prompt payment discounts? (Hint: Do this only if it is usual and customary in your industry.)
- Do you know what it will cost you to extend credit? Have you built the costs into your prices?

**Managing Your Accounts Receivable**

If you do extend credit, you should do an aging at least monthly to track how much of your money is tied up in credit given to customers and to alert you to slow payment problems. A receivables aging looks like the following table:

	Total	Current	30 Days	60 Days	90 Days	Over 90 Days
<b>Accounts Receivable Aging</b>						

You will need a policy for dealing with slow-paying customers:

- When do you make a phone call?
- When do you send a letter?
- When do you get your attorney to threaten?

**Managing Your Accounts Payable**

You should also age your accounts payable, what you owe to your suppliers. This helps you plan whom to pay and when. Paying too early depletes your cash, but paying late can cost you valuable discounts and can damage your credit. (Hint: If you know you will be late making a payment, call the creditor before the due date.)

Do your proposed vendors offer prompt payment discounts?

A payables aging looks like the following table:

	Total	Current	30 Days	60 Days	90 Days	Over 90 Days

<b>Accounts Payable Aging</b>						

#### ✓ VI. Management and Organization

Who will manage the business on a day-to-day basis? What experience does that person bring to the business? What special or distinctive competencies? Is there a plan for continuation of the business if this person is lost or incapacitated?

If you'll have more than 10 employees, create an organizational chart showing the management hierarchy and who is responsible for key functions.

Include position descriptions for key employees. If you are seeking loans or investors, include resumes of owners and key employees.

#### Professional and Advisory Support

List the following:

- Board of directors
- Management advisory board
- Attorney
- Accountant
- Insurance agent
- Banker
- Consultant or consultants
- Mentors and key advisors

#### ✓ VII. Personal Financial Statement

Include personal financial statements for each owner and major stockholder, showing assets and liabilities held outside the business and personal net worth. Owners will often have to draw on personal assets to finance the business, and these statements will show what is available. Bankers and investors usually want this information as well.

### ✓ VIII. Start-up Expenses and Capitalization

You will have many start-up expenses before you even begin operating your business. It's important to estimate these expenses accurately and then to plan where you will get sufficient capital. This is a research project, and the more thorough your research efforts, the less chance that you will leave out important expenses or underestimate them.

Even with the best of research, however, opening a new business has a way of costing more than you anticipate. There are two ways to make allowances for surprise expenses. The first is to add a little "padding" to each item in the budget. The problem with that approach, however, is that it destroys the accuracy of your carefully wrought plan. The second approach is to add a separate line item, called contingencies, to account for the unforeseeable. This is the approach we recommend.

Talk to others who have started similar businesses to get a good idea of how much to allow for contingencies. If you cannot get good information, we recommend a rule of thumb that contingencies should equal at least 20 percent of the total of all other start-up expenses.

Explain your research and how you arrived at your forecasts of expenses. Give sources, amounts, and terms of proposed loans. Also explain in detail how much will be contributed by each investor and what percent ownership each will have.

### ✓ IX. Financial Plan

The financial plan consists of a 12-month profit and loss projection, a four-year profit and loss projection (optional), a cash-flow projection, a projected balance sheet, and a break-even calculation. Together they constitute a reasonable estimate of your company's financial future. More important, the process of thinking through the financial plan will improve your insight into the inner financial workings of your company.

#### **12-Month Profit and Loss Projection**

Many business owners think of the 12-month profit and loss projection as the centrepiece of their plan. This is where you put it all together in numbers and get an idea of what it will take to make a profit and be successful.

Your sales projections will come from a sales forecast in which you forecast sales, cost of goods sold, expenses, and profit month-by-month for one year.

Profit projections should be accompanied by a narrative explaining the major assumptions used to estimate company income and expenses.

Research Notes: Keep careful notes on your research and assumptions, so that you can explain them later if necessary, and also so that you can go back to your sources when it's time to revise your plan.

#### **Four-Year Profit Projection (Optional)**

The 12-month projection is the heart of your financial plan. The Four-Year Profit projection is for those who want to carry their forecasts beyond the first year.

Of course, keep notes of your key assumptions, especially about things that you expect will change dramatically after the first year.

### **Projected Cash Flow**

If the profit projection is the heart of your business plan, cash flow is the blood. Businesses fail because they cannot pay their bills. Every part of your business plan is important, but none of it means a thing if you run out of cash.

The point of this worksheet is to plan how much you need before start-up, for preliminary expenses, operating expenses, and reserves. You should keep updating it and using it afterward. It will enable you to foresee shortages in time to do something about them—perhaps cut expenses, or perhaps negotiate a loan. But foremost, you shouldn't be taken by surprise.

There is no great trick to preparing it: The cash-flow projection is just a forward look at your checking/current account.

For each item, determine when you actually expect to receive cash (for sales) or when you will actually have to write a check (for expense items).

You should track essential operating data, which is not necessarily part of cash flow but allows you to track items that have a heavy impact on cash flow, such as sales and inventory purchases.

You should also track cash outlays prior to opening in a pre-start-up column. You should have already researched those for your start-up expenses plan.

Your cash flow will show you whether your working capital is adequate. Clearly, if your projected cash balance ever goes negative, you will need more start-up capital. This plan will also predict just when and how much you will need to borrow.

Explain your major assumptions, especially those that make the cash flow differ from the *Profit and Loss Projection*. For example, if you make a sale in month one, when do you actually collect the cash? When you buy inventory or materials, do you pay in advance, upon delivery, or much later? How will this affect cash flow?

Are some expenses payable in advance? When?

Are there irregular expenses, such as quarterly tax payments, maintenance and repairs, or seasonal inventory build-up that should be budgeted?

Loan payments, equipment purchases, and owner's draws usually do not show on profit and loss statements but definitely do take cash out. Be sure to include them.

And of course, depreciation does not appear in the cash flow at all because you never write a cheque for it.

### **Opening Day Balance Sheet**

A balance sheet is one of the fundamental financial reports that any business needs for reporting and financial management. A balance sheet shows what items of value are held by the company (assets), and what its debts are (liabilities). When liabilities are subtracted from assets, the remainder is owners' equity.

Use a start-up expenses and capitalization spreadsheet as a guide to preparing a balance sheet as of opening day. Then detail how you calculated the account balances on your opening day balance sheet.

Optional: Some people want to add a projected balance sheet showing the estimated financial position of the company at the end of the first year. This is especially useful when selling your proposal to investors.

### **Break-Even Analysis**

A break-even analysis predicts the sales volume, at a given price, required to recover total costs. In other words, it's the sales level that is the dividing line between operating at a loss and operating at a profit.

Expressed as a formula, break-even is:

$$\text{Break-Even Sales} = \text{Fixed Costs} / (1 - \text{Variable Costs \%})$$

(Where fixed costs are expressed in INR, but variable costs are expressed as a percent of total sales.)

Include all assumptions upon which your break-even calculation is based.

### ✓ **X. Appendices**

Include details and studies used in your business plan; for example:

- Brochures and advertising materials
- Industry studies
- Blueprints and plans
- Maps and photos of location
- Magazine or other articles
- Detailed lists of equipment owned or to be purchased
- Copies of leases and contracts
- Letters of support from future customers
- Any other materials needed to support the assumptions in this plan
- Market research studies
- List of assets available as collateral for a loan

### ✓ **XI. Refining the Plan**

The generic business plan presented above should be modified to suit your specific type of business and the audience for which the plan is written.

#### **For Raising Capital**

#### **For Bankers**

- Bankers want assurance of orderly repayment. If you intend using this plan to present to lenders, include:
  - ✓ Amount of loan
  - ✓ How the funds will be used
  - ✓ What this will accomplish—how will it make the business stronger?
  - ✓ Requested repayment terms (number of years to repay). You will probably not have much negotiating room on interest rate but may be able to negotiate a longer repayment term, which will help cash flow.
  - ✓ Collateral offered, and a list of all existing liens against collateral

#### **For Investors**

- Investors have a different perspective. They are looking for dramatic growth, and they expect to share in the rewards:
  - ✓ Funds needed short-term
  - ✓ Funds needed in two to five years
  - ✓ How the company will use the funds, and what this will accomplish for growth.
  - ✓ Estimated return on investment
  - ✓ Exit strategy for investors (buyback, sale, or IPO)
  - ✓ Percent of ownership that you will give up to investors
  - ✓ Milestones or conditions that you will accept
  - ✓ Financial reporting to be provided
  - ✓ Involvement of investors on the board or in management

#### **For Type of Business**

##### **Manufacturing**

- Planned production levels
- Anticipated levels of direct production costs and indirect (overhead) costs—how do these compare to industry averages (if available)?
- Prices per product line
- Gross profit margin, overall and for each product line
- Production/capacity limits of planned physical plant
- Production/capacity limits of equipment
- Purchasing and inventory management procedures
- New products under development or anticipated to come online after start-up

##### **Service Businesses**

- Service businesses sell intangible products. They are usually more flexible than other types of businesses, but they also have higher labour costs and generally very little in fixed assets.
- What are the key competitive factors in this industry?
- Your prices
- Methods used to set prices
- System of production management
- Quality control procedures. Standard or accepted industry quality standards.
- How will you measure labour productivity?
- Percent of work subcontracted to other firms. Will you make a profit on subcontracting?
- Credit, payment, and collections policies and procedure
- Strategy for keeping client base

#### **High Technology Companies**

- Economic outlook for the industry
- Will the company have information systems in place to manage rapidly changing prices, costs, and markets?
- Will you be on the cutting edge with your products and services?
- What is the status of research and development? And what is required to:
  - ✓ Bring product/service to market?
  - ✓ Keep the company competitive?
- How does the company:
  - ✓ Protect intellectual property?
  - ✓ Avoid technological obsolescence?
  - ✓ Supply necessary capital?
  - ✓ Retain key personnel?

High-tech companies sometimes have to operate for a long time without profits and sometimes even without sales. If this fits your situation, a banker probably will not want to lend to you. Venture capitalists may invest, but your story must be very good. You must do longer-term financial forecasts to show when profit take-off is expected to occur. And your assumptions must be well documented and well argued.

**Retail Business**

- Company image
  - Pricing:
    - ✓ Explain mark-up policies.
    - ✓ Prices should be profitable, competitive, and in accordance with company image.
  
  - Inventory:
    - ✓ Selection and price should be consistent with company image.
    - ✓ Inventory level: Find industry average numbers for annual inventory turnover rate (available in RMA book). Multiply your initial inventory investment by the average turnover rate. The result should be at least equal to your projected first year's cost of goods sold. If it is not, you may not have enough budgeted for start-up inventory.
  - Customer service policies: These should be competitive and in accord with company image.
  - Location: Does it give the exposure that you need? Is it convenient for customers? Is it consistent with company image?
  - Promotion: Methods used, cost. Does it project a consistent company image?
  - Credit: Do you extend credit to customers? If yes, do you really need to, and do you factor the cost into prices?
-



## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. 1164-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डिहवा	0.067	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1166-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पटेहरा	0.033	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. 1216-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हर्दीकला	1.824	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कसिहाई माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1218-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हर्दी खुर्द	3.552	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत हर्दी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1220-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) डिहिया कोठार.	(4) 4.704	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया माइनर, डिहिया सब-माइनर नं. 1 एवं हर्दी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1222-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) कठना कोठार.	(4) 0.576	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया सब-माइनर नं.1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1224-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बहेरा कोठार.	(4) 1.056	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया सब-माइनर नं.1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1226-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) कंदैला पैपखार	(4) 3.024	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कंदैला माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1228-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	करारी	1.334	कार्यपालन यंत्रि, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1230-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	बुढ़गवाँ	1.440	कार्यपालन यंत्रि, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत पटना माइनर की पटना सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1232-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) पटना	(4) 2.534	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 एवं पटना सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1234-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) पताई	(4) 0.425	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 जुलाई 2017

स. प्र. क्र. 1-अ-82 वर्ष 2016-17.—राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत अनुसूची के कालम नं. (1) से (5) में वर्णित भू-धारक की भूमि की कालम नं. (7) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यकता है, जिसके लिए भू-धारक द्वारा प्रारूप-ख में, भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुनर्वास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	ख.नं./रकबा (हे. में)	भू-धारक का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दमोह	हटा	निवाई माफी	236/1-0. 40 हे.	कारेलाल पिता बाबूलाल, सा. निवाई माफी.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	पिपरिया जलाशय निर्माण.

- (2) उपरोक्त भूमि के धारक तथा परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. अतः भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय अथवा अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 19 जुलाई 2017

(प्रारंभिक अधिसूचना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11)

प्र. क्र. 55-अ-82-2017-18-पचावली.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची कि खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) सर्वे नं.	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	कोलारस	पचावली	198	0.010	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.	देहरदा-ईसागढ़ मार्ग पर पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु.
		प.ह.नं.	199	0.030		
		59	203	0.060		
			204/2	0.020		
			204/1	0.020		
			205	0.110		
			208	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			209	0.100		
			210	0.280		
			215/1	0.010		
			215/2	0.010		
			215/3	0.010		
			217	0.160		
			221	0.010		
			कुल योग . .	0.890		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भूमि सर्वे नम्बरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 56-अ-82-2017-18-अनन्तपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल हैक्टेयर सर्वे नं.	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	कोलारस	अनन्तपुर	369	संभागीय प्रबंधक म. प्र.	देहरदा-ईसागढ़ मार्ग पर
		प.ह.नं.	370	सड़क विकास निगम,	पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण
		56	484/2	ग्वालियर.	हेतु.
			484/3		
			487		
			488/2		
			कुल योग . .		
					0.180

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भूमि सर्वे नम्बरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 जुलाई 2017

प. क्र. 419-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	सेहुड़ा 551	0.134	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रीवा.	कल्याणपुर कोल्हा मार्ग के 1 कि.मी. 1/2 पर सतधर नदी पर पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, तहसील जवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

प. क्र. 420-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कल्याणपुर-55	0.129	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रीवा.	कल्याणपुर कोल्हा मार्ग के 1 कि.मी. 1/2 पर सतधर नदी पर पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, तहसील जवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2017

प्र. क्र. 19-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	तुन्ना	निजी भूमि रकबा 0.313 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.313 है.	लोक निर्माण विभाग संभाग, पन्ना.	अमानगंज से झिरघाट मार्ग वाया कटकहा तुन्ना, खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 किमी. के निर्माण ग्राम तुन्ना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) लोक निर्माण विभाग संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दतिया, दिनांक 27 जुलाई 2017

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	रावतपुरा	2.37	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया, (म. प्र.).	दतिया जिले के अन्तर्गत खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की गंधारी माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	लरायटा	3.92	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अन्तर्गत खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव:

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
 राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2017

प. क्र. . . . प्रशा.- भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सिलपरा	0.001	उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सीधी के

कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 245-प्रशा.- भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पडरा-335	0.133 (शासकीय) NH-1	उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 241-प्रशा.- भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टेकुआ	0.009	उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 जुलाई 2017

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 जुलाई 2017

पत्र क्र. 1162-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—दुबगवाँ  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.577 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
501	0.032	-
500	0.058	-
499	0.138	-
628	0.004	-
632	0.110	-
622	0.058	-
620	0.062	-
619	0.045	-
618	0.032	-
615	0.035	-
616	0.003	-

योग . . . 0.577

(ब) शासकीय भूमि	निरंक
महायोग . . .	0.577

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “कटकी सब-माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1256-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—सुपिया-607  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
---------------------	---------------------------------

#### अ. निजी पट्टे की भूमि—

162/1	0.010
184	0.013
21	0.032
180	0.110
214	0.060
215	0.054
174	0.054
175	0.061
176	0.006
811	0.100

अ. निजी पट्टे की भूमि योग . . . 0.500

ब. म. प्र. शासन की भूमि . . . 0.000

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.500

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“क्योंटी मुख्य नहर के सुपिया माइनर क्र. 1 एवं क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्र. 7284-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—डांगवावानी पिपरिया, प.ह.नं. 39, ब.नं. 223, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.226 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
176/4	0.360
405/1	01.763
405/2, 405/4	01.133
405/3	01.214
400/3	0.598
401/1	0.138
403/1	0.194
404	0.186
400/2	0.040
401/2	0.089
402/1, 402/2	0.470
403/2	0.041
योग . . .	06.226

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, कच्चा बांध उपसंभाग क्रमांक-1 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7285-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चौरई  
(ग) नगर/ग्राम—केवलारीसंभा, प.ह.नं. 03, ब.नं. 32, रा.नि.मं.-चौरई.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-शासकीय आबादी एवं शासकीय भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)/ परिसम्पत्तियां (2)
329	मकान पक्का-01, मकान कच्चा-26, गौशाला कच्चा-13, शौचालय-09, टांका पक्का-06, स्नानगृह-04, दुकान-01,

- (1) 185/1
- (2) बाउण्डीवाल-01,  
टीनशेड-01  
कुल-62.  
मकान पक्का-03,  
मकान कच्चा-06,  
शौचालय-01,  
गौशाला कच्चा-01,  
टांका पक्का-01,  
स्नानगृह-01  
कुल-13.

योग . . 75

यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—चौसरा, प.ह.नं. 40,  
ब.नं. 170, रा.नि.मं.—छिन्दवाड़ा-1.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.465 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये शासकीय आबादी एवं शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच, व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
78/2	0.200
90/2	0.100
80/1	0.030
80/3	0.150
80/2	0.060
80/4	0.484
80/5	0.051
79	0.245
92/2	0.145
योग . .	01.465

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7286-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच, व्यपवर्तन परियोजना, कच्चा बांध उपसंभाग क्रमांक-1 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(1)	(2)	(3)
	393/2	1.25	1.25
	429/2	0.88	0.88
	160/2	0.20	0.20
	429/3	0.88	0.88
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	331/2	0.41	0.41
	334/2	0.37	0.37
	335	0.20	0.20
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	402	0.40	0.40
	426/1	0.25	0.25
दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2017	418/1	0.20	0.20
	425/6	1.00	1.00
क्र. क-भू-अर्जन-पथरिया-2017-3157.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	331/1	1.00	1.00
	406	0.04	0.04
	340/1	0.27	0.27
	350	0.12	0.12
	353	0.40	0.40
	123	0.10	0.10
	344	0.14	0.14
अनुसूची	320	0.50	0.50
(1) भूमि का वर्णन—	409/4	0.59	0.59
(क) जिला—दमोह	326	0.23	0.23
(ख) तहसील—पथरिया—(साजली मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु-शेष भू-अर्जन)	378/2	0.12	0.12
(ग) ग्राम—डूडा, केवलारी, कोडरमणी	28/2	0.01	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.88 हेक्टेयर.	399/1	1.27	1.27
(1) भूमि का वर्णन—	425/2	1.00	1.00
(क) जिला—दमोह	384	0.20	0.20
(ख) तहसील—पथरिया	361/3	0.48	0.48
(ग) ग्राम—डूडा	369/3	0.09	0.09
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.88 हेक्टेयर.	4/1ख	0.02	0.02
खसरा	5/2	0.08	0.08
क्षेत्रफल कुल रकबा	360/1	0.10	0.10
कुल अर्जित	168/2	0.06	0.06
क्र. (1)	386/3	0.32	0.32
	2/1ख	0.20	0.20
	386/4	1.28	1.28
	114/3	0.11	0.11
	388/5	2.02	2.02
	117/4	0.09	0.09
	401/1	0.38	0.38
	331/3	0.40	0.40
	391/2	1.17	1.17
	334/1	1.00	1.00



(1)	(2)	(3)
427	0.16	0.16
429/1	0.74	0.74
4/2	0.15	0.15
कुल अर्जित रकबा . .		<u>20.88</u>

## (2) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पथरिया  
(ग) ग्राम—केवलारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित किया जाने वाला शेष रकबा (हेक्ट. में)	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
128	0.23	0.23
310	0.51	0.51
111/2	0.08	0.08
111/3	0.08	0.08
118/4	0.08	0.08
207/1	0.06	0.06
210/2	0.05	0.05
231/2	0.08	0.08
231/5	0.06	0.06
228/1	0.23	0.23
304	0.01	0.01
107	0.03	0.03
कुल अर्जित रकबा . .		<u>1.50</u>

## (3) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पथरिया  
(ग) ग्राम—कोडरमड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित किया जाने वाला शेष रकबा (हेक्ट. में)	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
117	0.05	0.05
70	0.12	0.12
204	0.03	0.03
कुल अर्जित रकबा . .		<u>0.20</u>

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 22.58 हेक्टेयर.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-पथरिया-2017-3158.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पथरिया—(साजली मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु—शेष भू-अर्जन)  
(ग) ग्राम—सांसा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.78 हेक्टर.

खसरा क्र.	अर्जित किया जाने वाला शेष रकबा (हेक्ट. में)	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
89	0.21	0.21
115/2	0.13	0.13
304	0.25	0.25
309/2	0.80	0.80
310/2	0.13	0.13
315	0.27	0.27
317	0.99	0.99
कुल अर्जित रकबा . .		<u>2.78</u>

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 2.78 हेक्टेयर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1) 229 241	(2) 0.090 0.001
( भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )	171/1, 171/2 163 165	0.070 0.132 0.002
कटनी, दिनांक 30 जून 2017	221	0.007
रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	227 228 175 170 156 211 226	0.033 0.038 0.011 0.018 0.077 0.670 0.059
<b>अनुसूची</b>	235	0.152
(1) भूमि का वर्णन—	239/1, 239/2	0.192
(क) जिला—कटनी	173	0.260
(ख) तहसील—कटनी	169/1, 169/2, 169/3	0.002
(ग) ग्राम—पूँछी, प.ह.नं. 03	155	0.194
(घ) लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा—3.135 हेक्टेयर.	154	0.048
	योग . .	<u>3.135</u>

( शासकीय भूमि रकबा 0.718 हेक्टेयर एवं निजी भूमि रकबा 2.417 हेक्टेयर )

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
214	0.023
215	0.099
216	0.147
240	0.368
172	0.142
164	0.090
153	0.078
217	0.111
218	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पश्चिम सेन्ट्रल रेल्वे जबलपुर द्वारा झुकेही कैमोर कार्ड रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधान कारण कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.